

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा जिला-सरगुजा एवं सूरजपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित परसा ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट- 5 एमटीपीए एवं पीट हेड कोल वॉशरी- 5 एमटीपीए के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 29/10/2017 को स्थान- ग्राम बासेन तह.-उदयपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बासेन के सामने का मैदान, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा जिला-सरगुजा एवं सूरजपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित परसा ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट- 5 एमटीपीए एवं पीट हेड कोल वॉशरी- 5 एमटीपीए के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु श्री निर्मल तिग्गा, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर की उपस्थिति में दिनांक 29/10/2017 को स्थान-ग्राम बासेन तह.-उदयपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बासेन के सामने का मैदान, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में पूर्वान्ह 11:30 बजे लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई ।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा जिला-सरगुजा एवं सूरजपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित परसा ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट- 5 एमटीपीए एवं पीट हेड कोल वाशरी- 5 एमटीपीए के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में दिनांक 18.07.2017 एवं 21.07.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 04/08/2017 को उद्योग की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देश दिये गये। कार्यालय कलेक्टर, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा के पत्र दिनांक 26/09/2017 के द्वारा उद्योग की लोकसुनवाई की तिथि दिनांक 29/10/2017, समय पूर्वान्ह 11:00 बजे, स्थान-ग्राम बासेन तह.-उदयपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बासेन के सामने का मैदान, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में नियत की गई। भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित ई. आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपालन में दिनांक 28.09.2017 को राष्ट्रीय समाचार पत्र 'द इंडियन एक्सप्रेस' दैनिक समाचार पत्र 'नई दुनिया' एवं 'छत्तीसगढ़' में 30 दिवस पूर्व लोकसुनवाई की सर्व संबंधितों को सूचना प्रकाशित कराई गयी। ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालिक सार की हिन्दी व अंग्रेजी प्रतियां सीडी सहित अवलोकनार्थ कार्यालय कलेक्टर, जिला-सरगुजा, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अंबिकापुर, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी

(रा.), उदयपुर, जिला-सरगुजा, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत-साल्ही, परसा, घाटबर्गा एवं बासेन (केते) तह.-उदयपुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) कार्यालय डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भू-तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। लोक सुनवाई के पूर्व उक्त अवधि में कुल 06 लिखित आवेदन प्राप्त हुए। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया। परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री प्रकाश इसरानी, डिप्टी चीफ इंजिनियर फ्यूल मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जन समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित परियोजना के संबंध में अपने सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी व्यक्त करने हेतु आग्रह किया गया। लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं :-

1. **श्री अमरेश प्रसाद मरकाम, सरपंच, ग्राम घाटबर्गा**— परियोजना से जल प्रदूषित हो तो उसका उपचार कर ही तालाब या नदी में डाले, ध्वनि प्रदूषण एवं जलवायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखते हुए अपने कार्य प्रगती में रहे और स्वास्थ्य शिक्षा के स्तर को ऊंचा करे। जिससे हमारे नौजवान साथियों को रोजगार के अवसर मिल, खदान खुले, मैं इसका स्वागत करता हूँ।
2. **श्री दिनेश कुमार यादव, ग्राम परसा**—हमारा ग्राम परसा केते एवं बासेन तीनों गांव एक पंचायत जंगल क्षेत्र में है। हमारे क्षेत्र को कोई देखने सुनने वाला नहीं था। मुश्किल से इस क्षेत्र में रास्ते थे। इन रास्तों पर पर हम मुश्किल से चल पाते थे। आज कम से कम चार पहिया वाहन एवं बड़े अधिकारी इस क्षेत्र को देखन आते हैं यह हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। बासेन गांव में छोटे बड़े मंत्री तो बहुत आते हैं किंतु कभी बड़े मंत्री यहा नहीं पधारे हैं। जब 2010 से खदान शुरू होने से क्षेत्र का विकास होना शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट से हम लोगों को लाभ हुआ है। नवयुवक लोगों के पास रोजगार है। हमारे इस क्षेत्र में शिक्षा में सहायता हुई है। बच्चों को पढ़ाई में फायदा हुआ है। बिजली पानी का भी क्षेत्र में विकास हुआ है। हमारे तीन गांव परसा, केते एवं बासेन में विगत 2010 से 2017 के बीच 7 वर्षों में 50 प्रतिशत क्षेत्र में अधिक विकास हुआ है। अनेक प्रकार के विकास इस क्षेत्र में हुआ है। इस जन सुनवाई को पुरा पुरा समर्थन है।
3. **श्रीमती रुदन बाई, ग्राम बासेन** — अदानी को समर्थन है।
4. **श्री जयनंदन सिंह पोर्ते, ग्राम घाटबर्गा**— लोक सुनवाई में आपका स्वागत करता हूँ। आज जन सुनवाई का विरोध करता हूँ। हमारे घाटबर्गा ग्राम को उजाड़ने के लिये ई.आई.ए. बना है। यह रिपोर्ट गलत बना है मुझे 40 साल का अनुभव है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक खतरा है, ई.आई.ए. रिपोर्ट में लिखा है तो यह ई.आई.ए. रिपोर्ट का क्या मतलब है। कोर जोन में अवलोकित की गई है वनस्पति इसमें आम

नीबू करंज आठ पेंड बताया गया है इसमें ये पेड़ बफर जोन में भी है औषधि में तीन बताया गया बरमूड़ा घास आदि गाय का ईलाज किया जाता है जिसे छुपाया गया है। कई औषधि है उन्हें छिपाया गया है। कोर जोन एरिया में पाये जाने वाले प्राणी कोयल कौआ, बुलबुल इसमें केवल 20 प्राणी जाति बताया गया है इस जंगल में दो सांप बताया गया है जो 50 सांप की जातियां होगी जिसे छिपाया गया है। यहां भालू है जिसे छिपाया गया है। हाथी एक ही दिखाया गया है। हाथी परसा ईस्ट खदान खुलने के बाद 2013 से हाथी का रास्ता कट गया इनका आना जाना बंद हो गया तो हाथी कहां से दिखेगा यह छुपाया गया है। राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी को फायदा पहुंचे के लिये यह सुनवाई की गई है। यहां सात आठ गांव उजड़ रहा है। अगली जनसुनवाई में टी.वी. वाले वहां पहुंच जिससे सब कुछ दिखे जिससे भविष्य में ऐसा न हो। अटेम नदी में ज्योति मछली को छूपाया गया है जो हमारे समाज पूजते हैं जिसे नदी में छोड़ा जाता है। 35000 में केवल 768 लोगों को रोजगार देंगे। परसा खदान बंद होने से यहां नौकरी करने वालों का क्या होगा। मैं खदान का विरोध करता हूँ।

5. **श्रीमती आसान बाई, ग्राम बासन—** खदान का समर्थन देती हूँ।
6. **श्री देव सिंह पोर्ते ग्राम फतेहपुर—** देखा जाये तो 10 साल में जंगल साफ हो जायेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है। काशल विकास में कपड़ा सिलाई, मोटर मैकेनिक आदि क्षेत्र में विकास हुआ है। विकास की स्थिति को देखते हुए मैं समर्थन करता हूँ। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे विकास करें। बाहरी संस्था वाले यहां के लोगों को गुमराह करते हैं। भूमि मुआवजा का रेट हम बतायेंगे न कि कंपनी। विरोध करके हम क्या करेंगे। मांग करना है उसे मांग के बारे सोचना पड़ेगा अपनी मांग पे अडिग रहे। जो भी विकास हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में साल्ही में अदानी द्वारा बनवाया गया स्कूल है वैसा स्कूल अंबिकापुर में भी नहीं है। निशुल्क परिवहन एवं खाने पीने की व्यवस्था है। होस्टल की उचित व्यवस्था स्कूल में है। सभी व्यवस्था पर कंपनी को नजर है। 24 घंटे 2 गार्ड तैनात हैं। प्रभावित क्षेत्र में हास्पिटल खुलना चाहिए यह मेरी मांग है। खदान का समर्थन करता हूँ।
7. **श्रीमती उर्मिला, ग्राम बासेन—** कोल माईन को मैं समर्थन देती हूँ।
8. **श्री कमलेश यादव, ग्राम घाटबर्गा—** अटेम नदी में मछली झींग नदी मुंगरी मछली है। माईन से कोई तकलीफ नहीं है। नदी में सभी मछली उपलब्ध हैं। परोगिया, सुसकम, सैटु, घाटबर्गा, फतेहपुर में किसी भी स्थिति में हर सुविधा खदान द्वारा उपलब्ध है। लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
9. **श्रीमती बुधियारो, ग्राम परसा—** खदान को समर्थन करती हूँ।
10. **श्री काशोराम, ग्राम बासेन केते—**जब से यहां खदान खुली है यहां सारी सुविधा दिया गया है। गांव – गांव में एम्बुलेंस और बस सुविधा दिया गया है। गिदमुडी एवं अन्य गांव के लोग यहां आकर काम करते हैं। जब तक खदान नहीं खुला था तक किसी के घर में साईकिल भी नहीं थी, खदान खुलने से चार चक्का चल रहा है। कंपनी खुलने से हम लोगों को सुविधा दिया गया है खदान नहीं खुलता तो घर-घर में बिजली कैसे आता है। खदान खुलने से घर घर में बिजली आया है। वर्षा कम हो रही है, घर घर में धान उगाया जा रहा है ट्यूब वेल के माध्यम से, बिजली के माध्यम से। गांव गांव में एम्बुलेंस जाता है। जहा रोड नहीं था वहा रोड बनाया गया। ऐसी सुविधा कंपनी के आने से सबको मिला है।
11. **श्रीमती धियारो, ग्राम बासेन—** कोयला खदान को समर्थन देती हूँ।
12. **श्रीमती कविता, ग्राम बासेन—** खदान को समर्थन करती हूँ।
13. **श्री रामेश्वर यादव, ग्राम परोगिया—** 12 बजे हम एम्बुलेंस के लिए उदयपुर सरकारी विभाग में फोन करते हैं बोलते हैं एक ही एम्बुलेंस है जो उदयपुर चला गया है 4

घंटे लगोगा आने मे। कंपनी मे कभी भी फोन किया 2 घंटे के बाद एम्बुलेंस की सुविधा मिली है। कंपनी हर सप्ताह सबको दवाइ वितरण कर रही है। यह सब देखते हुए हम इस जन सुनवाई का समर्थन करत है और हमार गांव से आये 120 लोग समर्थन करते हैं।

14. **श्रीमती कविता, ग्राम बासन—** समर्थन है।

15. **श्री आलोक शुक्ला, छत्तीसगढ़ बचाओ संघर्ष समिति—** लोकसुनवाई का विरोध करता हूँ क्योंकि ये जो कोयला खदान है हसदेव अरण्य के सघन वन क्षेत्र मे स्थित है। इस संपूर्ण वन क्षेत्र की जैव विविधता इसकी घनत्वता हाथी का माइग्रेटिंग कॉरिडोर और वन्य प्राणीयों कि उपस्थिति के कारण है संपूर्ण इलाके को 2009 मे नो गो क्षेत्र घोषित किया गया। 2011 में तीन कोल परसा ईस्ट केते बासेन, तारा को स्वीकृति मिलने समय यह कहा गया था कि हसदेव क्षेत्र में अन्य किसी अन्य परियोजना को स्वीकृति नहीं दी जायेगी। और इसी संदर्भ मे परसा ईस्ट की वन परियोजना मे यह कंडिशन डाली गई है कि हसदेव को छेड़ने के लिए अन्य कोई प्रस्ताव नहो जाना चाहिए। यह परियोजना हसदेव क्षेत्र को खोलती है। यह परियोजना उस क्षेत्र के लोग एवं मनसा के विपरीत है। हम जानते है कि हसदेव का क्षेत्र बांगो डैम का कैचमेंट है जिसमे 30000 हेक्टेयर का सिचाई का क्षेत्र है। लगातार खनन परियोजना आयेगी तो संपूर्ण बांगो बांध के अस्तीत्व को खतरा होगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। इस जनसुनवाई को निरस्त करने का मैं अपील करता हूँ। पर्यावरणीय जनसुनवाई प्रस्तावित स्थल में हो या 01 किमी. के दायरे मे हो मैं इसकी निंदा करता हूँ। यह जनसुनवाई गलत स्थल पर आयोजित की गई है। इ.आई.ए. रिपोर्ट कापी पेस्ट की गई है जिसमें अद्यतन जानकारी नहीं है। 2015 में घाटबर्ग में हाथी आया है घरों को तोड़ा है। जबकि ई.आई.ए. में बताया गया है कि 2013 से परियोजना क्षेत्र में हाथी नहीं है। 10 किमी. रेडियस में परसा ईस्ट केते बासन परियोजना पूर्व से संचालित है। पूरे क्षेत्र में 250 से 300 फुट की गहराई से अधिक मे पानी नही है यदि 900 फुट की गहराई में खनन होगा तो क्या पानी बचेगा या सूखेगा। यह बात ई.आई.ए. रिपोर्ट मे छिपाया गया है। दो बड़े उदाहरण है कि ई.आई.ए. रिपोर्ट गलत है। परियाजना प्रस्ताव का प्रस्ताव खारिज करना चाहिए। कुल क्षेत्र 1252 हेक्टेयर है। इस 1252 हेक्टेयर जा माइनिंग क्षेत्र है 4 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। 67 प्रतिशत फारेस्ट एरिया है जो अपने आप मे बहुत महत्वपूर्ण फॉरेस्ट है। 14 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इस बफर जोन मे है। वाईल्ड लाईफ मैनेजमेंट प्लान बना है दो जंगल के बीच में पुराने परसा ईस्ट कोल ब्लॉक को शामिल किया गया है। यह प्लान गलत है। टोटल कोल 200 मिलियन टन है। 189 मिलियन टन माईन रिजर्व होगा तो अब यह 200 मिलि. कहां से आ गया है। यह पुराने प्लान अनुसार है। यह कोल कहां से आने वाला इसका भी जवाब देना चाहिए परियोजना प्रस्तावक को। दो नालो को डायवर्ट करना है। यहां तालाब नहीं है। परसा ईस्ट केते बासेन में जो नाला डायवर्ट हुआ है उसमें माईन का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। दोनो नाले डायवर्ट होंगे तो अटेम नदी में इसका जल जायेगा जो ई.आई.ए. रिपोर्ट में छिपाया गया है। धुएं धूल से लोग परेशान है। ब्लास्टिंग के एक्सप्लोसिव यूज करने वाले हैं तो इस क्षेत्र मे क्या स्थिति होगी? वन्य प्राणी ज्यादा प्रभावित होंगे क्या वन्य प्राणी यहां रह पायेगा? खदान की गहराई बहुत अधिक है। ओव्हाबर्डन की उंचाई अधिक है जिसे ई. आई.ए. में छिपाया गया है। खदान का पुरजोर से विरोध करता हूँ। जन सुनवाई राजस्थान की हो रही है जबकि अडानी के लोग यह सुनवाई करवा रहे हैं। पर्यावरण नियम की धज्जियां उड़ाई जाती है तो अडानी अलग हो जाता है कहता है मै ता राजस्थान नहीं हूँ।

16. **श्रीमती चंदमणो, ग्राम बसेन—** खदान को समर्थन है।

17. **श्रीमती बंधानो, ग्राम बासेन**— कोयला खदान को समर्थन है।
18. **श्री मेहंदीलाल राम, ग्राम चंदननगर**—यहां आदानी के लोग हैं यहां बोलने के लिये दबाव बनाया जाता है। इस कोल ब्लॉक में 841 हेक्ट. वन क्षेत्र जा रहा है। दक्षिण सरगुजा का वर्किंग प्लान एवं ई.आई.ए. रिपोर्ट को मिलाया जाये। दोनों में बहुत अंतर है। दक्षिण सरगुजा का वर्किंग प्लान बहुत ही स्पष्ट है। पेशा कानून एवं वन अधिकार कानून भी कहता है कि किसी भी प्रकार के औद्योगिककरण के पूर्व क्षेत्र में जाके सबसे पहले ग्रामसभा का आयोजन करना चाहिए यदि ग्रामसभा समर्थन करते तो यह जनसुनवाई करना चाहिए। इस जन सुनवाई को निरस्त करना चाहिए। स्थानीय भाषा में ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार होना चाहिए। जो कि अंग्रेजी में है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। अतः यह जनसुनवाई निरस्त किया जाना चाहिए। तारा कोल ब्लॉक के दो गांव को लिया गया है ई.आई.ए. में नहीं बताया गया है। इसे निरस्त करें। डाफ्ट रिपोर्ट में मैप अस्पष्ट है एवं संलग्नक सारे के सारे खराब एवं अस्पष्ट है इसमें कोल वॉशरी के बारे बताया नहीं गया है। रिपोर्ट निरस्त किया जाना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ।
19. **श्रीमती नरमत, ग्राम बासेन**— मैं समर्थन करती हूँ।
20. **श्री रमनी बाई, ग्राम बासेन**— मैं समर्थन करती हूँ।
21. **श्री डी.पी. यादव, अधिवक्ता, अंबिकापुर**—जनसुनवाई की मुझे आपत्ति है सरगुजा संविधान की 5वीं अनुसूची में आता है वहां पेशा कानून लागू है ग्रामपंचायत के अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। जनसुनवाई के पहले संबंधित ग्राम पंचायत में एवं जहां पे कोयला खदान खोला जाना है उन ग्राम पंचायतों से सहमति लेना आवश्यक है इसलिए अपने आप में यह जन सुनवाई अवैध है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी एक चेहरा है तो अडानी पूरा काम कर रहा है यह अनलीगल है। कोल वॉशरी कोयला खदान जो पर्यावरणीय स्वीकृति मिला था उसका पालन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा नहीं किया गया है। उसे रेल्वे या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोयला पहुंचाना था लेकिन अभी तक ट्रकों के माध्यम से कोयला ढुलाई हो रही है जबकि रेल्वे लाइन के माध्यम से किया जाना था। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी निगम और छ.ग. शासन द्वारा जिला कलेक्टर के साथ 2012 में लीज एग्रीमेंट हुआ है उसका भी पालन इन्होंने अभी तक नहीं किया है। पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन 5 साल बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया। सर्व सुविधा युक्त कालोनी विकसित नहीं किया गया है। ग्रामीण जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है उन्हें नौकरी नहीं दी गई है। जन सुनवाई निरस्त किया जाना आवश्यक है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई है बहुत से तथ्यों को छुपाया गया है। आदिवासी को विलुप्त करने का उपाय है। विरोध करता हूँ।
22. **श्रीमती तेजमती तिर्की, ग्राम बासेन**— मैं खदान को समर्थन करती हूँ।
23. **कुमारी सरिता तिर्की, ग्राम बासेन**— मैं खदान को समर्थन करती हूँ।
24. **श्रीमती राजमती, ग्राम बासन**— मैं खदान को समर्थन करती हूँ।
25. **श्री घनश्याम प्रसाद यादव, ग्राम घाटबर्वा उपसरपंच**— पर्यावरण के बारे में पृथ्वी एवं आवरण को पर्यावरण क्या जल जंगल और जमीन और इन तीनों चीजों की सभी को आवश्यकता होती है। ये तीनों नहीं रहेंगे तो बहुत कष्ट होगा। यहां ओपन कास्ट को खुला कहा जाता है। यहां हसदेव अरण्य से लेकर यहां रोड बन रही है यहां कितने वृक्ष कट रहे हैं। यहां रोड के दोनों ओर वृक्ष कटे हैं तो क्या पर्यावरण नष्ट नहीं हुआ है। हसदेव अरण्य में 110 गांव डूबे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने अपने घर से शौचालय को एक भी व्यक्ति नहीं बनवाया। परसा ईस्ट केते बासेन खुली खदान ओपन है। पर्यावरण मानव नहीं बिगाड़ सकता भगवान की ईच्छा होगी तो पर्यावरण एक मिनट नहीं बचेगा क्या इंसान पर्यावरण बनाता है। ओपन

कास्ट में फूल एवं वृक्ष लगे हैं। ओब्बबडन के उपर भी वृक्ष लगे हैं। नशे में चलेंगे तो दुर्घटना होगी। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यहां के लोगों को नौकरी मिल रही है वे लोग अपने बाल-बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। धान बीज दिया जाता है खाद दिया जाता है हमारे गांव में बिजली नहीं थी चार लाख रु. स्वीकृत कराकर बिजली लाईन आडानी के द्वारा दी गई है उसमें अनेक लोग खेती कर रहे हैं। जल के लिए कहीं ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां हैण्डपंप नहीं है सुधार भी कराया जाता है। वृद्ध लोगों को शासन से 300 रु. एवं अडानी की तरफ से 500 रु. पेंशन दिया जाता है। ग्रामसभा ही हम लोग करवाते हैं। जिस चीज की मीटिंग रहता है उसका निर्णय लिये जाकर जनपद पंचायत को प्रेषित करते हैं। छोटे-छोटे बच्चों के लिये नियमित रूप से गाड़ी भेजी जाती है। साल्ही अडानी माईन्स स्कूल में पढ़ने आते हैं। उदयपुर में भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जैसी बिल्डिंग यहां है। टेलेंटड शिक्षक यहां पर माईन्स की ओर से हैं। प्राकृतिक आपदा से धूल उड़ती है। टैंकर द्वारा जल छिड़काव किया जाता है नियमित पानी सिंचाता है। यहां लोगों को इतना पैसा मिल गया है जिससे ये लोग नौकरी नहीं करना चाहता। जो नौकरी करना चाहता है उसे नौकरी मिलती है। हरिहरपुर के सभी लोग मुआवजा ले चुके हैं। आप दूसरे गांव के लोगों को मुआवजा लेने से क्यों रोकते हैं ये लोग हल्ला मचाते हैं सबके साथ सबका विकास हो। घाटबर्सा का विकास होता है। जनसुनवाई दूर में है यह जनसुनवाई परिधि में है। बासेन तो जीरो की परिधि में है। तहे दिल से जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ।

26. **श्रीमती देवमतिया, ग्राम बासेन**— मैं खदान को समर्थन करती हूँ।
27. **श्रीमती रजमनिया, ग्राम बासेन**— मैं खदान को समर्थन करती हूँ।
28. **श्री दीनदयाल यादव, ग्राम घाटबर्सा**— मैं बच्चों को बस द्वारा स्कूल भजता हूँ और खाना पीना स्कूल सब देता है। मैं इसको समर्थन करता हूँ।
29. **श्रीमती उर्मिला, ग्राम बासेन**— मैं खदान को समर्थन करती हूँ।
30. **श्रीमती कुंवारी बाई** — कायला खदान को समर्थन करती हूँ।
31. **श्री रामलाल सिंह करियाम, ग्राम साल्ही** — मैं पुरजोर विरोध करता हूँ क्योंकि हमारा गांव विस्थापन होने जा रहा है और जिस जगह जन संनवाई का आयोजन होना था वहां न होकर जन सुनवाई का आयोजन 10 किमी. दूर किया गया है। ई.आई.ए. रिपोर्ट गलत है। जंगल में जो जानवर एवं जड़ी बूटी पाये जाते हैं उनको नहीं दर्शाया गया है। परसा काल ब्लाक क्षेत्र में जो जंगल जा रहा है उस जंगल में हमारे जंगल में बड़ा देवता है हमारी संस्कृति का देन है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण जानवर को छुपाया गया है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में बताया गया है कि 2013 से इस क्षेत्र में हाथी नहीं है, यह गलत है। वन विभाग द्वारा एक पंचनामा तैयार किया है जिसके अनुसार 22/08/2015 को हाथी निवास किया है। नदी में आये दिन गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। कोल का भण्डारण किया गया है उसमें आये दिन आग लगी रहती है। पर्यावरण स्वीकृति में कहा गया है कि किसी भी कोयला भण्डारण में आग नहीं लगना चाहिए। यह सारे तथ्य को दरकिनार करके काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। पर्यावरण जनसुनवाई का बहुत बहुत विरोध करता हूँ।
32. **श्रीमती मंजुला सार्थी, ग्राम परसा**— अडानी कोल माईंस को समर्थन करती हूँ। पहले परसा में आने के लिए घंटों दूर चलना पड़ता था कंपनी आने से यहां बस चलना शुरू हो गयी। पहले बच्चे स्कूल पैदल जाते थे कंपनी ने उन्हें बस सुविधा दी। कम्प्यूटर एवं सिलाई सेंटर खुला।
33. **श्रीमती बबीता, ग्राम साल्ही** — शिक्षा की सुविधा दी गई। हॉस्पिटल को प्रभावित क्षेत्र में खोलना जरूरी है। मैं इसका समर्थन करती हूँ।

34. **श्री बालसाय कोराम, ग्राम हरीहरपुर** – छत्तीसगढ़ का सरगुजा बस्तर विशेष जनजातिय क्षेत्र है। यहा 5 वी अनुसूची लागू क्षेत्र है। यहां पेशा कानून लागू है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका लेख नहीं किया। स्थानीय भाषा में ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार नहीं है। ये लोग अंग्रेजी नहीं जानते आपन 70 पेज में तैयार किया है ई.आई.ए. रिपोर्ट। किसी भी कार्यवाही के लिए ग्रामसभा की सहमति लेनी पड़ती है। जनता के हित को नहीं समझा। राष्ट्रीय स्तर का स्कूल मैं मानता हूँ लेकिन हास्पिटल व्यवस्था कहां है। तत्काल जन सुनवाई निरस्त किया जाये। जिसको जमीन दिया था काम उसको करना चाहिए था। आप विकास की बात कर रहे हैं यहा 120 घर मिलने थे लेकिन केवल 15 घर हैं। सीसी रोड बनवाना था जबकि रोड नहीं बनवाया गया है। केते गांव में जो अधिग्रहण से पैसा मिला था वो 10 किसान पैसे को लेकर भटक रहे हैं। शासन मदद नहीं कर रही है। कोर जोन में कोई पर्यटक स्थल नहीं है लेकिन साल्ही में बूढ़ा देव देवता है जबकि आपने लिखा है कि यहां कोई पर्यटक स्थल नहीं है। यह छिपाया गया है आज की जनसुनवाई निरस्त किया जाय। कोर जोन में प्रभावित व्यक्ति को कोई तकलिफ नहीं होनी चाहिए। ताता यहां घर-घर में पाला जाता है। यह छिपाया गया है। कंपनी को देने के लिए आपने छल किया है। नीम पेड़, पीपल पेड़, गिलहरी पांच नग है, चूहा पांच है हम कैसे मानेंगे मेरे घर में सैकड़ों चुहे होंगे लेकिन आपके वैज्ञानिक ने लिखा है पाँच चुहे हैं। ई.आई.ए. में ये छिपाया गया है। 20 साल चलेगा परसा खदान तो आप अन्य खदान खोलने की आवश्यकता नहीं है। परसा खदान के लिये जो दस्तावेज तैयार किया गया है वो फजी है। यह जनसुनवाई रद्द की जाये हम लोगों को फंसाने के लिये है। हमने उदयपुर में वन अधिकार कानून का मॉग किया जो पटटे नहीं मिले हैं उनके लिए तो शासन ने धारा 144 लगा दिया। तेंदुपत्ता का बोनस दिया जायेगा नहीं दिया गया है। 50-50 हजार प्रत्येक परिवार को दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया। हर साल हरिहरपुर के जंगल में कम से कम 5 हिरण आते हैं किंतु आपके ई.आई.ए. रिपोर्ट में केवल 1 बताया गया है। हम जमीन नहीं देंगे हमारा पूरा-पूरा विरोध है आपने सरगुजिहा भाषा में क्यों नहीं लिखा। यह फर्जी है आपके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज होना चाहिए। यहां के लोग फतेहपुर साल्ही हरीहरपुर घाटबर्बा के लोग जमीन नहीं देंगे। जन सुनवाई रद्द किया जायें।
35. **कु. राधा राजवाड़े, ग्राम साल्ही** – समर्थन है।
36. **श्रीमती भगवतिया, ग्राम साल्ही** – समर्थन है।
37. **श्रीमती निंदरो बाई, ग्राम साल्ही** – हमारा वेतन बढ़ना चाहिए। 17 घंटे काम करते हैं हमारा वेतन उतना ही है। वेतन नहीं बढ़ता है।
38. **श्री ठाकुरराम, ग्राम हरिहरपुर** – मैं इस जन सुनवाई का भारी विरोध करता हूँ।
39. **श्री इंद्रजीत यादव, ग्राम घाटबर्बा** – ई.आई.ए. का रिपोर्ट का समर्थन करता हूँ। क्योंकि 1 माह पूर्व उसको प्रकाशित किया गया था। सभी के अवलोकनार्थ रखा गया था। इसमें किसी भी तरह की बात छूटी नहीं है। मैं समर्थन करता हूँ। विकास होगा तो कुछ न कुछ विनाश भी होगा। रोड नहीं बनेगा तो लोगों का आवागमन कैसे संभव होगा। खदान बंद हो जाने से हजारों लोग बेरोजगार हो जायेंगे। उनकी नौकरी चली जाने से वो लोग रोड पे आ जायेंगे भुखे मरने की नौबत आ जायेगी। 1 और खदान खुलने से क्षेत्र के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। आदिवासी जनता हमारा क्षेत्र पलायन से मुक्त हो गया है। अंग्रेजी मीडियम से बच्चों को पढ़ा रहे जिसकी व्यवस्था अडानी माईन द्वारा किया गया है। हममें यह क्षमता नहीं थी की हम अपने बच्चों को अंबिकापुर, रायपुर पढ़ने के लिए भेज सकें। यह व्यवस्था हमारे अडानी माईनिंग के आने के बाद किया गया। हास्पिटल जल्दी बनवाये। जितने वृक्ष कट रहे हैं मिट्टी के ढेरों पर वृक्ष लगाकर हरा भरा कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क

के किनारे किनारे वृक्ष लगाये गये जिससे पर्यावरण सुदृढ़ होगा। चलित हास्पिटल से सुविधा मिली है। कंपनी से निवेदन है कि 500 रु पेंशन दिया जाये और जिनका एम्र 60 वर्ष हो गयी है उनका भी नाम जोड़ा जाये। जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ।

40. **श्रीमती राजमिन, ग्राम बासेन—** समर्थन
41. **श्रीमती नुसी, ग्राम बासेन —** समर्थन
42. **श्री मुन्ना यादव, ग्राम घाटबर्ग—** यहा बहुत लोग है जो मुआवजा ले चुके है और बाकी लोगो से कह रहे है ककि मत लो। कंपनी के कारण हमारे क्षेत्र मे बहुत विकाश हुआ है। मेरी तरफ से और मेरे गांव के साथियों के तरफ से मै इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
43. **श्रीमती उरवसिया तिर्की, ग्राम बासेन—** बासेन गांव में पट्टा नहीं बना है हमारे लिए पट्टा बनना चाहिए। समर्थन है।
44. **श्रीमती श्रीमती, ग्राम बासेन—** अदानी को समर्थन है।
45. **श्री रामबरन यादव, ग्राम घाटबर्ग—** अदानी को समर्थन है।
46. **श्रीमती दिलबसिया ग्राम घाटबरा—** अदानी को समर्थन है।
47. **श्रीमती रूकमनिया, ग्राम घाटबर्ग—** अदानी को समर्थन है।
48. **श्री अज्जू प्रसाद यादव, ग्राम घाटबर्ग—** जनसुनवाई को समर्थन है।
49. **श्री भुपेश कुमार यादव, ग्राम घाटबर्ग—** जनसुनवाई को समर्थन है।
50. **श्रीमती विनीता, ग्राम साल्ही —** मेरे 3 बच्चे है उनको अंबिकापुर में पढायेंगे जमीन नहीं गया है तो जमीन है पट्टा नहीं देगा। विरोध है।
51. **श्री गिरीश कुमार, जिला कोरिया—** मै इस लोक सुनवाई का विरोध कर रहा हूँ। जन सुनवाई मे कानून को अनदेखा किया गया है। ग्रामसभा का पालन करिए। संविधान का सेवा करिए। देश के लोकतंत्र को बचाइये। 1 इंच मिट्टी के लिए 30 लाख साल लगते हैं। इसे आप एक साल में नष्ट कर रहें। खेती कहा होगी? विकास के नाम पे पानी और भोजन दोनो संकट मे है। सारी नदियों का उद्गम स्थल पहाड़ी क्षेत्र है बलुई पत्थर है वह पानी को रिचार्ज करता है। आने वाले समय मे पानी खत्म हो जायेगा तो पानी कहा मिलेगा। कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, वनस्पतियों का आपके पास डेटा नहीं है। इस जन सुनवाई का विरोध करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट तक जायेंगे।
52. **श्री राजकुमार, ग्राम बासेन—** हर घर में एक नौकरी दी जानी चाहिए। हमारी जमीन तो आप लोग ले लेंगे तो जिंदगी कैसे बितेगी? हमारे बाल-बच्चे कहा जायेंगे?
53. **श्रीमती अनीता एक्का, ग्राम बासेन —** जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
54. **श्री सुशील कुमार यादव, ग्राम गुमगा —** जितने पेड़ काटे गये है उनसे कही ज्यादा खदान के भीतर पेड़ लगाया गया है। यहां कहीं धूल नहीं उड़ रहा ह आप माईन में जाकर देखिए। मैं समर्थन करता हूँ।
55. **श्री जगतराम, ग्राम हरिहरपुर—** अदानी खेत को ले लिया है एक रुपया नहीं दिया है।
56. **श्रीमती कुंवर, ग्राम बासेन —** अदानी कंपनी का विरोध है।
57. **श्रीमती किरन, ग्राम बासेन—** मै जन सुनवाई को समर्थन करती हूँ।
58. **श्री राम किशन, ग्राम बासेन—**हमारे जगह जमीन को ले जायेंगे तो हमार बाल बच्चा क्या खायेंगे।
59. **श्रीमती शांति, ग्राम बासेन—** कोयला खदान को समर्थन करती हूँ।
60. **श्रीमती चंपा सिंह, ग्राम जनार्दनपुर—** मेरे गांव मे स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधा होना चाहिए। ये सब को देखते हुए मै लोक सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
61. **श्री सेवक राम बैगा, ग्राम घाटबर्ग —** खदान को समर्थन है।
62. **श्रीमती हसीना, ग्राम बासेन—** मै खदान को समर्थन करती हूँ।

63. श्रीमती लक्ष्मनिया, ग्राम जनार्दनपुर— मैं खदान को समर्थन करती हूँ।
64. श्रीमती उर्मिला, ग्राम बासेन— मैं जन सुनवाई को समर्थन करती हूँ।
65. श्री राम दयाल, ग्राम घाटबरा — अदानी कंपनी को समर्थन है।
66. श्रीमती हथियारो, ग्राम घाटबरा— समर्थन है।
67. श्रीमती सुखमन राजवाडे, ग्राम परसा — मैं खदान का समर्थन चाहती हूँ लेकिन हास्पिटल की सुविधा दी जाये। और हमारी समस्या का समाधान करे
68. श्रीमती सुनीता सिंह, ग्राम साल्ही— मेरे गांव मे कम्प्यूटर एवं सिलाई चालू कर दिया गया है। हमारी जमीन रेल्वे मे फसी है साल भर हो गया है लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला है । हमे बहुत परेशानी हो रही है। इसलिये मैं विरोध करती हूँ।
69. श्री नुर साय पैकरा, ग्राम सुस्तम — मैं इस कोल माईस का समर्थन करता हूँ।
70. श्रीमती अंबिका सिंह, ग्राम जनार्दनपुर — जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
71. श्री बलराम सिंह, ग्राम सुस्तम — मैं अदानी का समर्थन करता हूँ।
72. श्री रोशन सिंह, ग्राम सुस्तम — मैं अदानी का समर्थन करता हूँ।
73. श्री रविन्द्र प्रसाद यादव, ग्राम घाटबरा— अदानी का समर्थन करता हूँ।
74. श्री रामेश्वर सिंह, ग्राम सुस्तम — जन सुनवाई को समर्थन करता हूँ।
75. श्री रामेश्वर सिंह, ग्राम फतेहपुर — जन सुनवाई को विरोध करता हूँ।
76. श्री कृष्णकांत यादव, ग्राम घाटबरा— जन सुनवाई को समर्थन करता हूँ।
77. श्रीमती चंद्रमति, ग्राम साल्ही —मैं कोयला खदान का विरोध करती हूँ।
78. श्रीमती मीना सिंह, ग्राम जनार्दनपुर— मैं जन सुनवाई को समर्थन करती हूँ।
79. श्री सुरेन्द्र सिंह करियाम, ग्राम शिवनगर — अति सवत्र वर्जते, 5वीं अनुसूची 244 ए पेशा एक्ट लागू है। जिसकी जमीन उसका खनीज ये उच्च न्यायालय का फैसला है। व्यवस्था सुदृढ़ कर ले नहीं परिणाम भुगतना पड़ेगा। ग्रामसभा से अनुमति नहीं लिया गया है यह जनसुनवाई अवैध है। विनाश काल आ रहा है। मिनरल्स को अनुसूचित क्षेत्र में लीज नहीं दिया जा सकता है। खुद कंपनी बनायेंगे और कोयला हम खोदेंगे। इस जन सुनवाई का समर्थन करने के लिए घूस बांटा गया है। यदि कानून पर चल रहे हैं तो क्यों घूस क्यों बांट रहे हैं।
80. श्री रामप्रसाद पोर्ते, ग्राम साल्ही— जन सुनवाई का विरोध करता हूँ। धूल उड़ता है। पानी भी टाईम पर भी नहीं देते हैं। हैण्डपंप भी नहीं बनवाते। जन सुनवाई का विरोध करता हूँ।
81. श्रीमती सोनकुंवर, ग्राम परसा— कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
82. श्रीमती यमुना, ग्राम जनार्दनपुर — मैं समर्थन करती हूँ।
83. श्रीमती हीरामणी — कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
84. श्रीमतो शकुंतला, ग्राम जनार्दनपुर — लोक सुनवाई को समर्थन देती हूँ। हमारे गांव मे जो पढ़े लिख है उन्हें रोजगार दिया जाये।
85. श्रीमती सुनहरी बाई, ग्राम परसा— कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
86. श्रीमती मीना पोर्ते, ग्राम जनार्दनपुर— लोक सुनवाई को समर्थन देती हूँ। और गांव जनार्दनपुर से 50 व्यक्ति समर्थन मे है।
87. श्री दिनेश कुमार, प्रेमनगर— जन सुनवाई को समर्थन करता हूँ। और अपने साथ 9 लोगो का समर्थन पत्र लेकर आया हूँ।
88. श्रीमती कुलपत, ग्राम गुमगा — अदानी का समर्थन करती हूँ।
89. श्री बृजमोहन लकड़ा, ग्राम शिवनगर — अदानी को समर्थन करता हूँ।
90. श्री नवशाद अंसारी, ग्राम सलका — अदानी को समर्थन करता हूँ।
91. श्री बीरबल सिंह, ग्राम साल्ही— मैं परसा कोल ब्लॉक को समर्थन करता हूँ।
92. श्रीमती मुन्नीबाई, ग्राम परसा— अदानी का समर्थन करती हूँ।
93. कु. रतना सिंह, ग्राम जनार्दनपुर — मैं लोक सुनवाई का समर्थन करती हूँ।

94. **श्रीमती फुलेश्वरी, ग्राम जर्नादनपुर** – मै लोक सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
95. **श्री धरमसाय, ग्राम परसा, सरपंच** – धूल उड़ती है तो पानी सींच देते हैं हमारा और उनका तालमेल मिल रहा है। समर्थन है।
96. **श्रीमती हीरावती, ग्राम जनादर्ननपुर**– अदानी कंपनी का समर्थन करती हूँ।
97. **श्रीमती संतोषो, ग्राम गुमगा**– अदानी कंपनी का समर्थन देना चाहती हूँ।
98. **श्रीमती फूलमती, ग्राम जर्नादनपुर**– समर्थन करती हूँ।
99. **श्रीमती रूकमणी, ग्राम सुस्तम** – परसा कोल माईस को समर्थन करती हूँ।
100. **श्रीमती दिलमेन, ग्राम सुस्तम** – परसा कोल माईस को समर्थन करती हूँ।
101. **श्री उमेश्वर सिंह आर्मी, मदनपुर, जनपद सदस्य** – राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का पुरजोर विरोध करता हूँ। पर्यावरण जन सुनवाई में सिर्फ पर्यावरण की बात है हमारा गांव जामपानी परियोजना स्थल से 2-3 किमी की दूरी में है, प्रभावित होगा। जो पर्यावरण अधिकारी है बहुत सारे तथ्यों को छिपाये है। मैं बताना चाहूंगा कि जो फतेहपुर ग्राम है उसका नाम पहले हरदीगौरी था वहां यहाँ कुण्ड है जिसका हरदी कुण्ड जामपानी गिदमुड़ी होते बांगो बांध में मिलती है। आगे चलकर चांपा जांजगीर में लाखों हेक्टेयर की सिंचाई करती है। जो नदी बहती है वो पहाड़ियों से निकलती है। श्री जयराम रमेश मंत्री जी ने हसदेव अरण्य क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से नो गो एरिया घोषित किया गया है। परियोजना से प्रभावित हम पूरे ग्रामवासी परियोजना का विरोध करते हैं। विभिन्न प्रकार की औषधि, वनस्पति जीव जंतु जड़ों बूटी पाई जाती है। जो आंकलन रिपोर्ट में छिपाई गई है। आदिवासियों की संस्कृति को कुचला जा रहा है। जड़ों बूटियों की बात नहीं आ रही है इमारती लकड़ी को छुपाया गया है। बूढ़ा देव का साल वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है इसको छिपाया गया है। कई गावों में कर्मा त्यौहार मनाई गई है। कर्मा त्यौहार किस वृक्ष के नीचे की जाती है कर्म वृक्ष को उजाड़ रहे हैं। महुआ के फूल को अर्पित करते हैं। आदिवासियों की संस्कृति के लिये परियोजना घातक है। निदोश लोग जो अदानी के परिवहन में मारे जाते हैं। फतेहपुर, हरिहरपुर, साल्ही उजड़ने की बात नहीं है पूरा छत्तीसगढ़ उजड़ने का है। सरकारी कर्मचारियों को हम दलाल कहना चाहूंगा। 12 अक्टूबर 2017 को वन अधिकार पत्र के लिए धरना देने जा रहे थे। धरना देने दीजिए लेकिन धरना देने नहीं दिया गया। कर्मा खिलवाया गया क्या ये उल्लंघन नहीं है। जो 'शासन के कानून को नहीं मानता है उसे देशद्रोही मानते हैं। लोकसुनवाई का विरोध करना चाहता हूँ। विरोध विरोध
102. **श्रीमती मानकुंवर, ग्राम साल्ही** – 15 साल से अटेम नदी के किनारे रही हूँ। अटेम नदी के किनारे शिव मंदिर बन रहा है उसका नक्शा चाहिए।
103. **श्रीमती गंगोत्री, ग्राम सुस्तम** – समर्थन है।
104. **श्रीमती सुनीता, ग्राम साल्ही** – परसा खदान का विरोध है।
105. **कु. यशोदा यादव, ग्राम परसा**– तहे दिल से लोकसुनवाई का समर्थन करती हूँ। लेकिन अदानी द्वारा चलाये गये योजनाओं का लाभ हम लोगो को नहीं मिल रहा है। जिसके उत्तरदायी है – उषा मैडम, धनंजय, निरुपा एवं अनिल जायसवाल। इन कर्मचारियों द्वारा पक्षपात किया जाता है। ये लोग सभी वार्डों तक योजनाओं को नहीं पहुँचाते हैं। हम लोग बस इतना चाह रहे हैं कि इन कर्मचारियों से कहा जाये कि अदानी की योजनाओं की जानकारी सभी को समान रूप से प्राप्त हो। मैं अदानी का समर्थन करना चाहती हूँ।
106. **श्री नारायण प्रसाद यादव, अधिवक्ता** – अदानी माईन क्षेत्र में आने से यहाँ सुविधा मिली है। पहले हमें सेतुरंगा से होते हुए अंबिकापुर जाने में 80 किमी दूरी लगता था। आज हमने निकटतम गृह ग्राम उदयपुर में सारी समस्या का निराकरण प्राथमिक स्तर पर कर सकते हैं। नौकरी बेरोजगारी के अभाव में लोग पागल हो जाते हैं।

परसा के गांव में लोगों को अडानी माईन द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वनों में निर्दयता पूर्व कटाई न की जाये। मंहगाई का हरण किया है। अडानी माईन के आने के बाद लोगों को भरपूर भोजन मिल रहा है। देश के विकास के लिये कोयले का होना आवश्यक है। अडानी माईन इक्विसवीं सदी के लिये काम कर रही है। कपड़ा भोजन देकर अडानी माईन ने लोगों का नक्शा बदल दिया है।

107. श्रीमती शांति, ग्राम सुस्तम – समर्थन है।
108. श्रीमती बदानी, ग्राम सुस्तम – परसा अडानी को समर्थन देती हूँ।
109. श्रीमती हीना, ग्राम सुस्तम – परसा अडानी को समर्थन देती हूँ।
110. श्रीमती कांतिलता, ग्राम सुस्तम – परसा अडानी को समर्थन देती हूँ।
111. कु. रमिता, ग्राम कुसल— जनसुनवाई का समर्थन करना चाहती हूँ।
112. श्री रामप्रसाद, ग्राम बासेन— बासेन के लिए पट्टा दीजिए हर एक को नौकरी दीजिए।
113. श्री उमाशंकर गुप्ता, सरंपच—ग्रामपंचायत परसा—विरोध करने का समय निकल चुका है। जमीन दे दिये अब विरोध करने से क्या होगा। 10-15 हजार लोग कमा रहे हैं। क्या नेता लोगो को रोजगार देगा? कंपनी बंद हो जायेगी तो बुजुर्गों का क्या होगा। गांव के 90 प्रति लोग उसी पर आश्रित है। शासन 300 रु. पेंशन देती है वो भी उन्ही लोगो को जो गरीबी रेखा मे नाम है लेकिन अडानी कंपनी 500 रु. जितने 60 साल के हैं जिनका जमीन गया हो या नही गया है सभी को पेंशन जाता है। जब से माईन आया है सभी जनो के पास पसा है। 31/12/2012 से लोग बालिग थे उनको नौकरी दी गई है लेकिन जो अब बालिग हो रहे हैं उनको रोजगार दी जाये। रोजगार, शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। समर्थन है।
114. श्रीमती रतना तिवारी, ग्राम सुस्तम – मै अडानी को समर्थन देती हूँ।
115. श्रीमती प्रमिला, ग्राम सुस्तम— मै अडानी को समर्थन देती हूँ।
116. श्रीमती राजेश्वरी, ग्राम सुस्तम— मै अडानी को समर्थन देती हूँ।
117. श्रीमती सरस्वती, ग्राम साल्ही— अडानी का विरोध है।
118. श्रीमती कुसुन्दरी, ग्राम सुस्तम – मै अडानी को समर्थन देती हूँ।
119. श्री संतबिलास यादव, ग्राम घाटबर्वा—हम लोग बनवासी है। हम लोग वंचित होने जा रहे हैं। वनवासियों का जीवन यापन व पैतृक जगह चला जा रहा है। बेजा कब्जा से हमको वंचित न किया जाय। हम लोगों का शाषण न हो। अडानी माईन से हमे लाभ मिला है। अडानी माईन सहयोग करती है। आज के जन सुनवाई का पूर्ण समर्थन है।
120. श्रीमती विजमतिया बाई, ग्राम परसा— अडानी को समर्थन है।
121. श्रीमती जमुना दास, ग्राम जजगा – अडानी को समर्थन है।
122. श्रीमती कलावती, ग्राम सुस्तम— परसा खदान को समर्थन है।
123. श्रीमती मुनरो, ग्राम शिवनगर – परसा खदान को समर्थन है।
124. श्री शिवराम यादव, ग्राम परसा— जब से अडानी हमारे गांव मे आया है पुल बन गया है। आवागमन, स्कूल, अस्पताल की सुविधा दी है। रोजगार मिल गया है। समर्थन है।
125. श्रीमती राजो, ग्राम शिवनगर— अडानी गाड़ी नही चला रहा है। विरोध है।
126. श्रीमती कमला बाई, ग्राम साल्ही —कोयला खदान का विराध है।
127. श्रीमती हीरामणी पैकरा, ग्राम सुस्तम – मै समर्थन करती हूँ।
128. श्री प्यारो बाई, ग्राम श्रीनगर— परसा खदान का समर्थन करती हूँ।
129. श्री सीताराम, ग्राम साल्ही— 03 सितम्बर 2016 ग्राम साल्ही का फारेस्ट गार्ड था। चौकीदार वहां मार खाये। पुलिस प्रशासन बुलाकर पेड कटवाते हैं। लोकसुनवाई को रदद किया जाये।

130. श्री अनंत राम, ग्राम साल्ही— मेरे बाल बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है कुछ नहीं किया है। कंपनी झूठा है कोई विकास नहीं किया है। कोयला खदान का विरोध करता हूँ।
131. श्रीमती मंगली बाई, ग्राम शिवनगर— परसा खदान का समर्थन करती हूँ।
132. श्रीमती निहारो, ग्राम कुंजनगर — परसा खदान का समर्थन करती हूँ।
133. श्रीमती राजमनी, ग्राम शिवनगर — कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
134. श्रीमती धनेश्वरी, ग्राम शिवनगर — परसा खदान का समर्थन करती हूँ।
135. श्रीमती बुलासो बाई, ग्राम शिवनगर — अदानी का विरोध करती हूँ।
136. श्री बबलु भान, ग्रामघाटबर्ग — परसा खदान को समर्थन है।
137. श्री दुबेराम, ग्राम घाटबर्ग — परसा खदान को समर्थन है।
138. श्रीमती रामावती ग्राम जनादनपुर — मैं कोयला खदान को समर्थन करती हूँ।
139. श्रीमती तिहारो, ग्राम जनादनपुर — मैं कोयला खदान को समर्थन करती हूँ।
140. श्रीमती कुदारी बाई, ग्राम शिवनगर — कोयला खदान को समर्थन करती हूँ।
141. श्री विद्या बाई, ग्राम बासेन— अदानी पट्टा नहीं दिलाया। समर्थन नहीं करता हूँ।
142. श्री भोलेराम, ग्रामघाटबर्ग — अदानी को समर्थन देते हैं। हैण्डपंप नहीं लगवायें हम परेशान हैं।
143. श्रीमती लीला बाई, ग्राम शिवनगर — परसा कोयला खदान को समर्थन है।
144. श्रीमती हरी बाई, ग्राम शिवनगर — कोयला खदान को समर्थन है।
145. कु. शिवमन्या सिंह, ग्राम जनादनपुर — खदान का समर्थन करती हूँ।
146. श्रीमती संजू सिंह, ग्राम जनादनपुर — लोक सुनवाई का समर्थन है।
147. श्रीमती देवकी यादव, ग्राम सुस्तम — परसा कोल माईस का समर्थन है।
148. श्री राजकुमार यादव, ग्राम बासेन — आज मुआवजा ले लिए हो नौकरी कर रहे हो तो अदानी का बहिष्कार कर रहे हो। मैं जन सुनवाई को समर्थन देता हूँ।
149. श्रीमती शिवकुमार, ग्राम सुस्तम — परसा खदान को समर्थन देती हूँ।
150. श्री सुखसाय पोर्ते, ग्राम जनादनपुर — जन सुनवाई को समर्थन देता हूँ।
151. श्रीमती सीमा सोनी, ग्राम परसा — अदानी कोल माईस को समर्थन देती हूँ।
152. श्री पातर साय, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम केते— 1254.47 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है जिससे 185 लोगों का मकान टूटेगा और 356 परिवार प्रभावित होगा तो इसमें क्या हानि क्या लाभ है। यहा एकमात्र नदी है जो अटेम नाला जो पहले से परसा खदान में भी है वह वहा से खदान का कोयला पानी छन्नी द्वारा नदी में जाता है। वह 10 किमी तक प्रभावित करता है। बासेन ग्राम से मैं लोक सुनवाई को समर्थन करता हूँ।
153. श्रीमती शीला सोनी, ग्राम परसा — समर्थन देती हूँ।
154. श्रीमती गुल्लसपग, ग्राम परसा — समर्थन देती हूँ।
155. श्री तुसती सिंह, ग्राम केते — मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ। मेरे साथ मेरे 10 साथियों का समर्थन पत्र लेके आया हूँ।
156. श्री नवल सिंह मरकाम, ग्राम घाटबर्ग — मैं आज के जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
157. श्रीमती अमृत बाई सोनी, ग्राम परसा — कोल फिल्ड को समर्थन करती हूँ।
158. श्री दिनेश कुमार यादव, ग्राम घाटबर्ग — भारत सरकार, छ.ग. ' शासन का जो संविधान है उसके तहत हमारे राजस्थान राज्य विद्युत निगम के कर्मचारी, अधिकारी कानून के तहत काम करे तो मुझ नहीं लगता है कि पर्यावरण को कुछ हानि पहुँचेंगी। प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देना चाहिए। समर्थन है।
159. श्रीमती पुनिया, ग्राम परसा — समर्थन है।

160. श्री लाल कुर्रे, ग्रामघटबर्वा – जन सुनवाई को समर्थन है।
161. श्रीमती मिथारो बाई, ग्राम श्रीनगर – समर्थन करती हूँ।
162. श्रीमती रागिनी बाई, ग्राम परसा – समर्थन करती हूँ।
163. श्रीमती पियासो बाई, ग्राम परसा – समर्थन करती हूँ।
164. श्रीमती धनकुवर, ग्राम श्रीनगर – समर्थन करती हूँ।
165. श्रीमती सुमरिया, ग्राम परसा – समर्थन करती हूँ।
166. श्रीमती अनिता, ग्राम श्रीनगर – समर्थन करती हूँ।
167. श्रीमती कांति, ग्राम सुस्तम – मैं समर्थन देती हूँ।
168. श्री बुधराम, ग्राम घाटबर्वा – समर्थन है।
169. श्रीमती हिरमनिया, ग्राम, शिवनगर – समर्थन करती हूँ।
170. श्रीमती लक्ष्मनिया, ग्राम शिवनगर – समर्थन करती हूँ।
171. श्री राजेश कुमार, ग्राम जर्नादनपुर – इस कंपनी का समर्थन है।
172. श्री राधेश्याम, ग्राम जर्नादनपुर – कंपनी को समर्थन करता हूँ।
173. श्रीमती उमेश्वरी, ग्राम परसा – समर्थन करती हूँ।
174. श्रीमती कुरती बाई, ग्राम श्रीनगर – समर्थन करती हूँ।
175. श्री कृष्ण कुमार साह, ग्राम बासेन – मैं इस लोक सूनवाई का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ।
176. श्री दिनदयाल मरकाम, ग्राम घटबर्वा – मैं इस लोक सूनवाई का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ।
177. श्रीमती सुमित्रा, ग्राम जर्नादनपुर – समर्थन करती हूँ।
178. श्री समथराम खुसरो, ग्राम साल्ही – मैं समर्थन करता हूँ।
179. श्री धनसाय, ग्राम सुस्तम – जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
180. श्रीमती राजकुमारी, ग्राम जर्नादनपुर – समर्थन करती हूँ।
181. श्री चंद्रेश्वर सिंह पैकरा, ग्राम सुस्तम – मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
182. श्रीमती शांतिबाई, ग्राम जर्नादनपुर – समर्थन करती हूँ।
183. श्री ननकुराम, ग्राम परसा – कंपनी का अब विरोध करना फिजुल है। क्योंकि जितनी जमीन हमारी थी वह तो हम दे चुके हैं। मैं अदानी माईनिंग को समर्थन देना चाहता हूँ।
184. कुमारी गीता, ग्राम शिवनगर – परसा अदानी को समर्थन करती हूँ।
185. श्रीमती सीता यादव, ग्राम परसा – मैं कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
186. श्री मंगल साय, ग्राम तोलनहिया – हमारा पट्टा बनेगा तो हम कोयला खदान को जमीन देंगे वरना नहीं देंगे।
187. श्री अगलसाय, ग्राम घाटबर्वा – कंपनी ने इंग्लिश मिडियम स्कूल खोल दिया और कम्प्यूटर सेंटर खोल दिया। कंपनी धन्यवाद।
188. श्री आत्माराम यादव, ग्राम घाटबर्वा – हमारे घर के सामने 6 महीने से हैंडपंप बिगड़ा हुआ है आज तक सुधार नहीं हुआ है। मेरे बच्चों के एडमिशन के लिए 2 साल से प्रयास किया हूँ लेकिन नहीं हुआ है। मैं इनका समर्थन करता हूँ।
189. श्रीमती रामबाई, ग्राम घाटबर्वा – समर्थन करती हूँ।
190. श्रीमती बराती, – समर्थन
191. श्री रामदयाल मरकाम, ग्राम घाटबर्वा – मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ और मेरे साथ 10 लोग हैं समर्थन में।
192. श्रीमती सुशोला यादव, ग्राम श्रीनगर – मैं परसा कोयला खदान को समर्थन करती हूँ।
193. श्री राम हूँसैन, ग्राम घाटबर्वा – मैं जन सुनवाई को समर्थन करता हूँ।

194. श्री राम चरण आर्म्स, ग्राम केते – सभी को नौकरी दिया जाये। कर्मचारियों के परिवहन के लिए बस सुविधा चाहिए।
195. श्री कल्याण सिंह, ग्राम घाटबर्ग – मैं जन सुनवाई को समर्थन करता हूँ।
196. श्रीमती ललीता, ग्राम घाटबर्ग – कोयला खदान को समर्थन करना चाहती हूँ।
197. श्री रामेश्वर लकड़ा, ग्राम घाटबर्ग – मैं जन सुनवाई को समर्थन करता हूँ।
198. श्रीमती सुशिला, ग्राम शिवनगर – खदान को समर्थन करती हूँ।
199. श्री मसत राम, ग्राम घाटबर्ग – मैं जन सुनवाई को समर्थन करता हूँ।
200. श्रीमती मुरघुनिया, ग्राम घाटबर्ग – कोयला खदान को समर्थन करना चाहती हूँ।
201. श्री बीर साय तिकी, ग्राम बासेन – हमारे बासेन के लिए पट्टा मिलना चाहिए। पट्टा नहीं मिला तो हम जमीन नहीं दे पायेंगे। हमारा सहयोगी हो।
202. श्रीमती बसंती तिवारी, ग्राम घाटबर्ग – अदानी को समर्थन देती हूँ।
203. श्री सुखदेव सिंह पैकरा, ग्राम सुस्तम – मैं जन सुनवाई को समर्थन करता हूँ।
204. श्री अजय कुमार मिश्रा, ग्राम घाटबर्ग – अदानी का समर्थन करता हूँ।
205. श्रीमती दशमती, ग्राम श्रीनगर – समर्थन है।
206. श्रीमती कमला, ग्राम श्रीनगर – परसा अदानी को समर्थन करती हूँ।
207. श्री सजन राम, ग्राम परसा – मैं अदानी में काम करता हूँ। मैं अदानी को पुरा समर्थन करता हूँ।
208. श्री परमेश्वर सिंह पैकरा, ग्राम सुस्तम – अदानी को समर्थन है।
209. श्रीमती परवतिया, ग्राम घाटबर्ग – अदानी को समर्थन है।
210. श्रीमती गौरी, ग्राम श्रीनगर – परसा खदान को समर्थन है।
211. श्री बुधेश्वर पोर्ते, ग्राम साल्ही – मैं लोक सुनवाई का विरोध करता हूँ। बहुत धूल उड़ता है। साहब लोग ता ए.सी. में चलते हैं उन्हें क्या मालूम। पानी सिंचाई के बाद भी बहुत धूल उड़ता है।
212. श्रीमती सुनीता, ग्राम शिवनगर – अदानी को समर्थन है।
213. श्रीमती कमला, ग्राम शिवनगर – अदानी को समर्थन है।
214. श्री सोनसाय, ग्राम घाटबर्ग – अदानी का विरोध करता हूँ। हम जंगल के रहने वाले हैं। शहर में नहीं जायेंगे। विरोध है।
215. श्रीमती सीमा, ग्राम चंदननगर – समर्थन है।
216. श्रीमती शांति देवी, ग्राम श्रीनगर – समर्थन है।
217. श्री प्रेम साय, ग्राम बासेन – समर्थन है।
218. श्री बुड़ेवान सिंह पोर्ते, ग्राम साल्ही – मैं इस जन सुनवाई का पूर्ण विरोध करता हूँ।
219. श्रीमती पारो, ग्राम शिवनगर – नाली में गंदा पानी जाता है।
220. श्रीमती प्रधानो, ग्राम शिवनगर – खदान का समर्थन है।
221. श्री राजकुमार, ग्राम केते – कंपनी के द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग टक बनाया गया है। कंपनी के द्वारा एक नर्सरी बनाया गया है। जिसमें लगभग 1.5 लाख पौधे तैयार किया जाता है। मैं इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।
222. श्री मनोज कुमार, ग्राम घाटबर्ग – मैं 2 साल से सिलाई मशीन से आई.टी.आई, कर रहा हूँ। मैं समर्थन देता हूँ। और रोजगार दिया जाये।
223. श्रीमती हीरामणी, ग्राम शिवनगर – अदानी का समर्थन है।
224. श्री प्रेमनाथ यादव – इस जन सुनवाई को समर्थन करता हूँ।
225. श्रीमती कसुन्दरी, ग्राम शिवनगर – अदानी का समर्थन है।
226. श्री हरी नारायण यादव, ग्राम घाटबर्ग – अदानी का समर्थन है।
227. श्रीमती धनकुंवर, ग्राम चंदननगर – समर्थन है।

228. श्री प्रकाश गोड़, कोरबा – आज कोरबा का पर्यावरण को बरबाद कर दिया गया है। जितने भी वहाँ प्लांट माईस है। 80 प्रतिशत लोग वहा शुगर और बी.पी. से मर रहे है।
229. श्रीमती गुलबीया बाई, ग्राम शिवनगर – समर्थन है।
230. श्रीमती संगीता, ग्राम शिवनगर – समर्थन है।
231. श्रीमती अमृत बाई, ग्राम शिवनगर – ट्रेलर गाड़ी जल्दी बंद हो। रोड पर पानी दे, धुल से परेशान है। जल्दी से रेल्वे लाईन बने।
232. श्री आनन्द लाल यादव, ग्राम घाटबर्ग – अदानी बहुत गैर कानुनी ढंग से काम कर रही है। 40 लोगो को आई.टी.आई. कराया और कहा पास करते ही नौकरी दी जायेगी। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। घाटबर्ग रोड मे बहुत धुल उड़ता है। हम अदानी का विरोध करते है।
233. श्रीमती गणेश्वरी, ग्राम बासेन – अदानी को समर्थन है।
234. श्री राम भगत, ग्राम घाटबर्ग – अदानी को समर्थन है।
235. श्री मुलचंद, ग्राम घाटबर्ग – अदानी को समर्थन है।
236. श्रीमती रूबिया, ग्राम घाटबर्ग – समर्थन है।
237. श्री शिवानिका, ग्राम बासेन – कोयला खदान को समर्थन करता हूँ।
238. श्री पसारी, ग्राम सुस्तम – अदानी को समर्थन है।
239. श्रीमती मोहर मणी, ग्राम शिवनगर – अदानी को समर्थन है।
240. श्री जय रपतान, ग्राम घाटबर्ग – मैं अदानी कंपनी को समर्थन करता हूँ।
241. श्री धन साय यादव, ग्राम बासेन – अदानी को समर्थन है।
242. श्रीमती रामवती ग्राम घाटबर्ग – समर्थन है।
243. श्रीमती तिलेश्वरी, ग्राम शिवनगर – अदानी को समर्थन है।
244. श्री अगर साय, ग्राम शिवनगर – अदानी को समर्थन है।
245. श्रीमती पूरनबाई, ग्राम बासेन – समर्थन है।
246. श्री सदन कुमार, ग्राम घाटबर्ग – मैं इस लोक सुनवाई को निरस्त करना चाहता हूँ।
247. श्री संतलाल बंजारा, ग्राम सल्का – लोक सुनवाई को समर्थन देता हूँ।
248. श्रीमती उलकुंवर, ग्राम बासेन – लोक सुनवाई को समर्थन है।
249. श्रीमती हिरनराम, ग्राम परसा – कोयला खदान को समर्थन देता हूँ।
250. श्री बहादुर कुमार चौधरी, ग्राम घाटबर्ग – मैं पूर्ण समर्थन देता हूँ।
251. श्रीमती रामबाई यादव, ग्राम परसा– जब से खदान खुला है उस दिन से मैं भुखें मर रही हूँ।
252. श्री हरिहर प्रसाद, ग्राम धरौदिया – मैं अदानी माईस का समर्थन करता हूँ।
253. श्रीमती संगीता, ग्राम शिवनगर – कोयला खदान का समर्थन है।
254. श्री श्याम, ग्राम बासेन – हमारा जमीन है जमीन का पट्टा मिलना चाहिए। पानी की व्यवस्था करिए।
255. श्रीमती मनी, ग्राम घाटबर्ग – कोयला खदान को समर्थन देती हूँ।
256. श्रीमती मनबसिया, ग्राम बासेन – मुझे चावल नहीं मिलता है। राशन कार्ड नहीं है।
257. श्री धमाराम, ग्राम घाटबर्ग – अदानी को समर्थन है।
258. श्री काशीप्रसाद यादव, ग्राम घाटबर्ग – अदानी कंपनी को समर्थन है।
259. श्री राम बलिहार, ग्राम घाटबर्ग – अदानी कंपनी को समर्थन है।
260. श्री मुनेश्वर सिंह, ग्राम फतेहपुर – मैं लोक सुनवाई का विरोध करता हूँ।
261. श्री मोहन – अदानी को समर्थन है।
262. श्रीमती फुली बाई, ग्राम घाटबर्ग – अदानी को समर्थन देती हूँ।
263. श्री जयराम सिंह, ग्राम करौधिया – जन सुनवाई को समर्थन देता हूँ।

264. श्री रोहित राम, ग्राम करौधिया – जन सुनवाई को समर्थन देता हूँ।
 265. श्री श्यामबर, ग्राम घाटबर्वा – अदानी को समर्थन है।
 266. श्रीमती बिंदियासो, ग्राम घाटबर्वा – अदानी को समर्थन है।
 267. श्रीमती मनियारो , ग्राम घाटबर्वा – अदानी नहीं खुलेगा।
 268. परवतिया ग्राम घाटबर्वा – अदानी को समर्थन है।
 269. श्रीमती चंपा – अदानी नहीं खुलेगा।
 270. श्रीमती सुखमनिया राजवाड़े, ग्राम घाटबर्वा – हमारी जमीन को लेना चाहे तो ले ले लेकीन हमारे परिवार वालो को नौकरी दे। बच्चो को बहुत सुविधा मिल रहा है। आज की जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
 271. श्रीमती पार्वती, ग्राम परसा – जन सुनवाई का समर्थन है।
 272. श्रीमती रुकमणी, ग्राम घाटबर्वा – जन सुनवाई का समर्थन है।
 273. श्री फेतूराम, ग्राम घाटबर्वा – जन सुनवाई का समर्थन है।
 274. श्री हेन तिर्की, ग्राम करौधिया – जन सुनवाई का समर्थन है।
 275. श्रीमती नमिता– मैं अदानी को समर्थन करती हूँ।
 276. श्रीमती जानकी, ग्राम श्रीनगर – मैं अदानी को समर्थन करती हूँ।
 277. श्रीमती मनरिया ग्राम घाटबर्वा – मैं समर्थन करती हूँ।
 278. श्रीमती मनिता, ग्राम घाटबर्वा – अदानी का समर्थन है।
 279. श्रीमती उजियारो, ग्राम घाटबर्वा – अदानी को समर्थन है।
 280. श्रीमती सुखवारो, ग्राम घाटबर्वा – अदानी का समर्थन करती हूँ।
 281. श्रीमती प्रमिला, ग्राम घाटबर्वा – जनसुनवाई को समर्थन है।
 282. श्रीमती ईश्वरी, ग्राम साल्ही – मेरा विधवा वाला पेंशन नहीं मिला है। कोयला खदान का विरोध करती हूँ।
 283. श्रीमती शांति, ग्राम घाटबर्वा – कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
 284. श्रीमती सतमेन बाई, ग्राम घाटबर्वा – जन सुनवाई का विरोध करती हूँ।
 285. श्री रमेश कुमार यादव, ग्राम घाटबर्वा – लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
 286. श्रीमती विरूलिया बाई, ग्राम साल्ही – हम खदान का विरोध करते हैं।
 287. श्री छोटुराम, ग्राम घाटबर्वा – कोयला खदान को समर्थन देता हूँ।
 288. श्रीमती हीना बाई, ग्राम घाटबर्वा – कोयला खदान का विरोध करती हूँ।
 289. श्री सुखलाल, ग्राम घाटबर्वा – लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
 290. श्रीमती रजनी, ग्राम साल्ही – कोयला खदान का विरोध करती हूँ।
 291. श्रीमती आशारानी, ग्राम घाटबर्वा – कोयला खदान का समर्थन है।
 292. श्रीमती निरा सिंह, ग्राम घाटबर्वा – लोक सुनवाई का समर्थन है।
 293. श्रीमती रासमति, ग्राम साल्ही – कोयला खदान का समर्थन है।
 294. श्री दिलसाय – समर्थन।
 295. श्री विनोद कुमार यादव, ग्राम घाटबर्वा – लोक सुनवाई का समर्थन है।
 296. श्री मिशाल राम, ग्राम घाटबर्वा – कोल माईन का समर्थन है।
 297. श्रीमती बसंती, ग्राम साल्ही – कोयला खदान का विरोध करती हूँ।
 298. श्रीमती लक्ष्मी, ग्राम घाटबर्वा – जन सुनवाई का समर्थन है।
 299. श्री रविन्द्र यादव, ग्राम परसा – जन सुनवाई का समर्थन है।
 300. श्रीमती रजीना, ग्राम घाटबर्वा – जन सुनवाई का समर्थन है।
 301. श्री रामअवतार पोर्ते – समर्थन नहीं है।
 302. श्री कमरो, घाटबर्वा – जन सुनवाई का समर्थन है।
 303. श्री मनोज यादव, करौधिया – जन सुनवाई का समर्थन है।
 304. श्री हीरालाल सिंह उइके, साल्ही – जन सुनवाई का विरोध है।

305. श्री अनुज कुमार, साल्ही – राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
306. श्रीमती अंजु, घाटबर्ग – मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
307. श्रीमती सोनमतिया बाई, ग्राम साल्ही – मैं जगह जमीन बचाव के लिए आई हूँ। मैं विरोध करती हूँ।
308. श्री बलींदर सिंह, साल्ही – मैं अदानी का विरोध करता हूँ।
309. श्रीमती फूलबसिया, ग्राम घाटबर्ग – अदानी का समर्थन करती हूँ।
310. श्री गोविंद, ग्राम परोगिया – जन सुनवाई का समर्थन है।
311. श्री भोलाराम, ग्राम परोगिया – जन सुनवाई का समर्थन है।
312. श्रीमती गौतमी, ग्राम घाटबर्ग – कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
313. श्री घनश्याम प्रजापति, ग्राम परोगिया – जन सुनवाई का समर्थन है।
314. श्री ठाकुर सिंह, ग्राम जर्नादनपुर – जन सुनवाई का समर्थन है।
315. श्रीमती बिमला बाई, ग्राम घाटबर्ग – जन सुनवाई का समर्थन है।
316. श्री कृष्णा तिर्की, ग्राम घाटबर्ग – मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
317. कुमारी पुजा सिंह, ग्राम डांडगांव – अदानी विद्या मंदिर में मैं शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं समर्थन करती हूँ। समर्थन का कारण यह है कि क्योंकि विद्यालय में पढ़ाई अच्छी चल रही है पढ़ाई के साथ साथ उनका सर्वांगिक विकास हो रहा है। सबका विकास हो रहा है। मैं समर्थन करती हूँ।
318. श्रीमती सीटो, ग्राम साल्ही – कोयला खदान का विरोध करती हूँ।
319. श्री जुगेश्वर प्रसाद पाण्डेय, ग्राम घाटबर्ग – विरोध करने वाले लोग उस दिन कहा था जब ये ब्लॉक यहाँ आया था। बाहर के लोग हमारे दर्द को नहीं समझते हैं। मैं इस जन सुनवाई का भरपूर एवं तहे दिल से समर्थन करता हूँ।
320. श्रीमती दिनो बाई, ग्राम घाटबर्ग – समर्थन करती हूँ।
321. श्री राधे कृष्ण यादव, ग्राम घाटबर्ग – जब तक कोयला निकलेगा नहीं भारत का विकास नहीं होगा। भारत के विकास के लिए हमारा घर हटाना होगा। भारत के विकास के लिए मैं इसका समर्थन करता हूँ।
322. श्रीमती पारो बाई – समर्थन।
323. श्रीमती संगीता, ग्राम घाटबर्ग – जन सुनवाई का समर्थन है।
324. श्रीमती सुनीता, ग्राम घाटबर्ग – जन सुनवाई का समर्थन है।
325. श्रीमती मनमतिया, ग्राम साल्ही – अदानी का विरोध करती हूँ।
326. श्रीमती पाचे बाई, ग्राम घाटबर्ग – जन सुनवाई का समर्थन है।
327. श्रीमती सुतारो – अदानी को समर्थन करती हूँ।
328. श्रीमती सावित्री मरकाम, ग्राम घाटबर्ग – मेरे गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है। मैं आज की जन सुनवाई में समर्थन करती हूँ।
329. श्री मनकाराम विश्वकर्मा, ग्राम घाटबर्ग – अदानी का पुरा समर्थन दे रहा हूँ।
330. श्रीमती रामतिली, ग्राम घाटबर्ग – जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
331. श्रीमती दिजन साय, ग्राम घाटबर्ग – जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
332. श्री लरंग साय, ग्राम मेण्ड्रा – कोयला खदान का हम समर्थन करते हैं।
333. श्रीमती लक्ष्मनिया बाई, ग्राम घाटबर्ग – नहीं।
334. श्री धरम राज यादव, ग्राम घाटबर्ग – मैं इस जन सुनवाई में अदानी का समर्थन करता हूँ। मेरे साथ 50 लोगों का समर्थन भी है। तहे दिल से समर्थन करता हूँ।
335. श्रीमती जिलो बाई – अदानी का समर्थन करती हूँ।
336. श्री जन सिंह नेटी, ग्राम मेण्ड्रा – समर्थन करता हूँ।
337. श्रीमती उर्मिला बाई, ग्राम साल्ही – पानी की तकलीफ है। अदानी का समर्थन करती हूँ।

338. श्री जगदीस राम पटेल, ग्राम घाटबर्वा – लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
339. श्रीमती निरासो, ग्राम घाटबर्वा – समर्थन करती हूँ।
340. श्री तिहारू कुमार, ग्राम घाटबर्वा – मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
341. श्रीमती महेश्वरी सिंह मराबी, ग्राम घाटबर्वा – हमारे घाटबर्वा के आधे लोग देंगे कहते हैं और आधे लोग नहीं देंगे कहते हैं। हमारा पट्टा नहीं बना है। पट्टा तत्काल चाहिए। पुरा पुरा हम समर्थन करते हैं।
342. श्रीमती देवन्ती, ग्राम घाटबर्वा – समर्थन।
343. श्रीमती दिलो बाई, ग्राम साल्ही – समर्थन है।
344. श्री कृष्णा सिंह उइके, ग्राम शिवनगर – अदानी कोल माईस को समर्थन करता हूँ।
345. श्री सोनु यादव, ग्राम गुमगा – मैं कोल फिल्ड को समर्थन करता हूँ।
346. श्रीमती सुखमनिया बाई, ग्राम गुमगा – कोयला खदान का करती हूँ।
347. श्री सोनु दास, ग्राम गुमगा – लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
348. श्रीमती सनामती, जर्नादनपुर – अदानी कंपनी ने जो भी काम है हमारे यहा नहीं कराया है। छोटे बच्चो के अदानी विद्या मंदिर जाने के लिए गाड़ी की सुविधा दो जायें। जर्नादनपुर उपरपारा मे पानी की कमी है, बोर चाहिए । जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
349. श्री जनक राम, ग्राम साल्ही – जब तक हमे सुविधा नहीं मिलती मैं विरोध करूंगा। हमारे यहा पानी, बिजली नहीं है, हमे सुविधा दे, हमारी जमीन जायदाद है, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा।
350. श्रीमती फुलवतिया, ग्राम घाटबर्वा – जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
351. श्रीमती संतोषी बाई, ग्राम घाटबर्वा – जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
352. श्री प्रेमचंद, ग्राम मेण्ड्रा – हम लोग भी सुख-सुविधा चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छी जगह जाकर पढ़ें। लेकिन हमारे पास पुंजी की कमी है। जहा 75 प्रतिशत विकास हो वहा 25 प्रतिशत विनाश जरूर होगा। आज हर किसी को रोजगार चाहिए। मैं इस अदानी कोल माईस का समर्थन करता हूँ।
353. श्रीमती परमेश्वरी, ग्राम घाटबर्वा – कोयला खदान को समर्थन करती हूँ।
354. श्री बृजलाल, ग्राम घाटबर्वा – समर्थन करता हूँ।
355. श्री शिवप्रसाद, ग्राम परोगिया – अदानी का समर्थन करता हूँ।
356. श्रीमती सिरजी, ग्राम जर्नादनपुर – कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
357. श्रीमती गीता दास, ग्राम परसा – कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
358. श्रीमती बनियासो बाई, ग्राम साल्ही – समर्थन।
359. श्री भुनेश्वर प्रसाद, ग्राम गुमगा – मैं यहा के क्षेत्र के विकास को देखते हुए लोक सुनवाई का पूर्ण समर्थन करता हूँ।
360. श्रीमती मीता सिंह, ग्राम परसा – मैं जन सुनवाई को तहे दिल से समर्थन करती हूँ।
361. श्रीमती मनियारो, ग्राम घाटबर्वा – जन सुनवाई को समर्थन।
362. श्री प्रसाद, ग्राम गिदमुड़ी – खदान का मैं विरोध करता हूँ।
363. श्रीमती बिमला सिंह, ग्राम परसा – लोक सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
364. श्री हरिचंद यादव, ग्राम गिदमुंडो – अदानी का मैं पुरी तरह से विरोध करता हूँ।
365. श्रीमती रजंती, ग्राम जर्नादनपुर – लोक सुनवाई का समर्थन।
366. श्री समय लाल, ग्राम मेण्ड्रा – अदानी का भरपूर साथ देता हूँ।
367. श्रीमती रजमनिया, ग्राम घाटबर्वा – मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
368. श्री जनगुराम, ग्राम मेण्ड्रा – मैं पुरा समर्थन दे रहा हूँ।
369. श्रीमती मानकुंवर ग्राम घाटबर्वा – जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।

370. श्री भागवत सिंह, ग्राम गिदमुड़ी- अडानी का विरोध करता हूँ।
371. श्रीमती गीता, ग्राम घाटबर्वा- मैं जनसुनवाई का समर्थन करती हूँ।
372. श्रीमती संतरा, ग्राम घाटबर्वा- मैं जनसुनवाई का समर्थन करती हूँ।
373. श्रीमती सोनामती, ग्राम जर्नादनपुर-अडानी का विरोध करती हूँ।
374. श्रीमती गुलाबी, ग्राम जर्नादनपुर-जनसुनवाई का समर्थन है।
375. श्रीमती दुर्गासो, ग्राम जर्नादनपुर-जनसुनवाई का समर्थन है।
376. श्री राजेश्वर, ग्राम हरिहरपुर- कंपनी काम करे तो वो अपने हिसाब से काम करें। यहां पानी उपलब्ध है। यहां लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्हें पानी नहीं मिलता है। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम नये कोयला खदान की अनुमति नहीं देंगे।
377. श्री विरेन्द्र कुमार, ग्राम गिदमुड़ी- अडानी का हम विरोध करते हैं।
378. श्रीमती करुणा बाई, ग्राम-जनार्दनपुर- खदान का विरोध है।
379. कु. सरिता कुमारी, ग्राम-घाटबर्वा- जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
380. श्रीमती सुनीता बाई, कटकोना- अडानी का विरोध कर रही हूँ।
381. श्रीमती लीला बाई, ग्राम घाटबर्वा- जनसुनवाई का समर्थन करती हूँ।
382. श्रीमती भानमती, ग्राम घाटबर्वा- जनसुनवाई का समर्थन है।
383. श्रीमती पियारो बाई, जनार्दनपुर-खदान का समर्थन है।
384. श्री रूपकुमार, ग्राम घाटबर्वा- जनसुनवाई का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ।
385. श्रीमती सुमित्रा, ग्राम घाटबर्वा- जनसुनवाई का समर्थन करती हूँ।
386. श्री सोनसाय, ग्राम घाटबर्वा- जनसुनवाई का समर्थन है।
387. श्रीमती लीला, ग्राम घाटबर्वा- विरोध है।
388. श्रीमती पथारो, ग्राम घाटबर्वा- विरोध करती हूँ।
389. श्रीमती सुनीता, कटकोना- विरोध करती हूँ।
390. श्री कुमार साय, ग्राम घाटबर्वा- विरोध है।
391. श्रीमती सोनामनी, ग्राम घाटबर्वा- समर्थन करती हूँ।
392. श्रीमती संपतिया सिंह, ग्राम पंचायत तारा सरपंच प्रतिनिधि- खदान खुले, जो बच्चे अडानी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको सुविधा मिले। समर्थन है।
393. श्रीमती कौशल्या, बासेन - खेत में फसल नहीं रहे तो हम कहां जायेंगे। विरोध है।
394. श्री शिवपाल पोर्ते, ग्राम बासेन- ये मेरा जन्म स्थान है। हम लोग बिगाडने काम नहीं करते हैं। जमीन का कब्जा हम लोग किये थे। पहले पट्टा बनाने का काम करे फिर जमीन लें। खदान का विरोध करते हैं।
395. श्रीमती प्रतिमा साहू, ग्रामपंचायत कांटोरोली-गाड़ी से टक्कर हुआ तो एम्बुलेंस ने हमारे बच्चों का इलाज किया। शिविर लगाते हैं दवा गोली देते हैं। अडानी का समर्थन है।
396. श्रीमती विमला, ग्राम घाटबर्वा- मैं अडानी का समर्थन करती हूँ।
397. श्रीमती लैला कुमारो यादव, ग्रामपंचायत घाटबर्वा-अडानी द्वारा इलाज कराया जाता है। मैं उनके चलाये जाने वाले कार्यक्रम में कार्य करती हूँ। अडानी का समर्थन करती हूँ।
398. श्रीमती फुलबसिया, ग्राम परसा-अडानी का समर्थन है।
399. श्रीमती संतोशी, ग्राम घाटबर्वा- लोकसुनवाई का समर्थन करती हूँ।
400. श्री दुश्यंत वैश्रव, ग्राम गुमगा- परसा कोल ब्लॉक का समर्थन करता हूँ, क्योंकि इस कोल ब्लॉक के आने पॉवर बढ़ेगा, आदिवासी क्षेत्र का विकास होगा। यहां पर लोगों का रोजगार बढ़ा है, यहां प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विकास हुआ है। महिलाओं का स"क्तीकरण हुआ है। यहां आसपास के 60 बच्चे हमारे स्कूल में अध्ययनरत जिन्हें अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है। बच्चों का सर्वांगीण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तरीके से पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है। इसके अलावा मैं यह बताना

चाहता हूँ कि यहां पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह पर रोपने का काम किया जाता है जो अपने देश में यह पहला है। अतः मैं पूरे दिल से इस कोल परियोजना का समर्थन करता हूँ।

401. श्रीमती रामकुंवर, ग्राम परसा—मैं अदानी कोल माईन का समर्थन करती हूँ।
402. श्रीमती पूनम दास, ग्राम चारपारा—अदानी को हम सब समर्थन करते हैं।
403. श्रीमती रजनी, ग्राम चारपारा—अदानी समर्थन करती हूँ।
404. श्री जगत राम पैकरा, ग्राम गिदमुड़ी— पर्यावरण लोकसुनवाई का पूरी तरह से विरोध करता हूँ।
405. श्रीमती शिव कुमारी, ग्राम, तारा चारपारा, — अदानी का विरोध करती हूँ। हमारी मांग पूरी करें तो हम समर्थन देना चाहती हूँ।
406. श्रीमती सेमर बाई, ग्राम परसा—अदानी का समर्थन है।
407. श्री दिलेश्वर सिंह मरकाम, ग्राम घाटबर्बा— बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं है। बिजली, पानी की व्यवस्था करें हम जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ। एक पेड़ कटता है तो कम से कम पांच पेड़ लगाना चाहिए।
408. श्रीमती ललिता मिंज, ग्राम तारा चारपारा— अदानी का समर्थन करती हूँ लेकिन जो मांग है उसे पूरी करें।
409. श्रीमती वीणा देवांगन, ग्राम परसा— मैं अदानी का समर्थन करती हूँ। अदानी के आने से महिला समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिला है।
410. श्रीमती गीता राज, ग्राम घाटबर्बा—मैं लोकसुनवाई का समर्थन करना चाहती हूँ।
411. श्री राजेश कुमार तिकी, ग्राम बासेन—मैं अदानी का समर्थन करता हूँ।
412. कुअनीता, ग्राम घाटबर्बा—आज की जनसुनवाई का समर्थन करती हूँ।
413. श्री दीनानाथ, ग्राम घाटबर्बा— जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ।
414. श्रीमती पुनिया यादव, घाटबर्बा— जनसुनवाई का समर्थन करती हूँ।
415. श्री रामदीन सिंह, ग्राम बासेन— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
416. श्रीमती सरिता सिंह, ग्राम साल्ही— जनसुनवाई का विरोध करती हूँ।
417. श्री बजरंग सिंह पैकरा, ग्राम गिदमुड़ी—लोकसुनवाई का विरोध करता हूँ।
418. श्री नाथू राम, ग्राम गिदमुड़ी—लोकसुनवाई का समर्थन करता हूँ।
419. श्री बालमुकुंद, ग्राम घाटबर्बा—अदानी का समर्थन करता हूँ।
420. श्रीमती ललीता, ग्राम परसा— अदानी का विरोध है।
421. श्री मंगल सिंह पोर्ते ग्राम गिदमुड़ी— जनसुनवाई का विरोध करता हूँ।
422. श्रीमती वनस्पति, ग्राम बासेन— मेरे पास खेती बाड़ी कुछ नहीं है मेरा पति भी नहीं एक लड़का है वो विगलांग है।
423. श्री मान सिंह, ग्राम बासेन— मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
424. श्रीमती कामनी, तारा चारपारा— समर्थन है।
425. श्रीमती ग्राम चारपारा— विरोध है।
426. श्री सुखराम यादव, ग्राम गुमगा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
427. श्रीमती लक्ष्मी बाई, तारा चारपारा— समर्थन है।
428. श्रीमती मीरा देवी, ग्राम मेण्ड्रा— खदान का समर्थन है।
429. श्री रामदीन ग्राम गिदमुड़ी, —अदानी का विरोध करता हूँ।
430. श्रीमती सोनमती, ग्राम चारपारा— समर्थन है।
431. श्री करम सिंह, ग्राम सैदू— अदानी का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ।
432. श्रीमती कलावती, ग्राम घाटबर्बा—लोकसुनवाई का समर्थन करती हूँ।
433. श्री समय लाल गिदमुड़ी—कोयला खदान का विरोध करता हूँ।
434. श्रीमती सावित्री, ग्राम—जनार्दनपुर—अदानी का समर्थन करती हूँ।
435. श्रीमती बसंती, ग्राम—जनार्दनपुर—अदानी का समर्थन करती हूँ।

436. श्रीमती कुंती बाई, ग्राम चारपारा— समर्थन है।
437. श्री महंत, ग्राम पूटा, उदयपुर—स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार मूलभूत कारण है जिससे मैं तहे दिल से अदानी का समर्थन करता हूँ।
438. श्री जय भांकर, ग्राम गिदमुड़ी— खदान का विरोध करता हूँ।
439. श्रीमती गीता बाई, ग्राम चारपारा— जनसुनवाई का समर्थन करती हूँ।
440. श्रीमती कुसंबी, ग्राम चारपारा— जनसुनवाई का समर्थन करती हूँ।
441. श्रीमती सुकमनिया बाई, ग्राम परोगिया—खदान विरोध है।
442. श्रीमती सुनीता सिंह, ग्राम मेंड्रा— खदान का समर्थन करती हूँ।
443. श्री शिवनंदन सिंह, ग्राम गिदमुड़ी— खदान का विरोध कर रहा हूँ।
444. श्री देव सिंह, ग्राम गिदमुड़ी— खदान का विरोध कर रहा हूँ।
445. श्रीमती गणेश्वरी, ग्राम मेंड्रा—कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
446. श्रीमती सुकवारो, ग्राम मेंड्रा—कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
447. श्री दामोदर सिंह पोर्ते, ग्राम गिदमुड़ी— स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा मिले मैं खदान का समर्थन करता हूँ।
448. श्रीमती मुन्नी बाई, ग्राम फतेहपुर— खदान का समर्थन करती हूँ।
449. श्रीमती सुखमनिया बाई, ग्राम फतेहपुर— खदान का समर्थन करती हूँ।
450. श्रीमती गुलाबो बाई, ग्राम फतेहपुर— खदान का समर्थन करती हूँ।
451. कु. सरिता सिंह, ग्राम मेंड्रा— मैं परसा कोल ब्लॉक का समर्थन करती हूँ।
452. श्रीमती फुले"वरी, ग्राम फतेहपुर— खदान का समर्थन करती हूँ।
453. श्री संजय मिश्रा, ग्राम घाटबर्ग— खदान का समर्थन है।
454. श्री ओम प्रकाश यादव, ग्राम—घाटबर्ग— परसा कोल ब्लॉक का समर्थन करता हूँ।
455. श्रीमती रकेलिया बाई, ग्राम फतेहपुर— खदान का समर्थन करती हूँ।
456. श्रीमती रूकमिनिया बाई, ग्राम फतेहपुर— खदान का समर्थन करती हूँ।
457. कु. प्रमिला, ग्राम मेंड्रा— परसा कोल ब्लॉक का समर्थन करती हूँ।
458. श्रीमती सकालो बाई, ग्राम फतेहपुर— खदान का समर्थन करती हूँ।
459. श्रीमती सुमारो बाई, ग्राम फतेहपुर— खदान का समर्थन करती हूँ।
460. कु. सबिता, ग्राम डांडगांव— खदान का समर्थन है।
461. श्रीमती बिंधिया बाई, ग्राम फतेहपुर— पट्टा मिलने पर खदान का समर्थन है।
462. कु. साधना, ग्राम डांडगांव— कोल खदान का समर्थन है।
463. श्रीमती दुर्गावती, ग्राम बासेन— खदान का समर्थन करती हूँ।
464. श्रीमती रामावती, ग्राम बासेन— खदान का समर्थन करती हूँ।
465. श्रीमती दीपा बाई, ग्राम फतेहपुर— खदान का समर्थन करती हूँ।
466. श्रीमती साधोराम, ग्राम फतेहपुर — खदान का समर्थन करती हूँ।
467. श्री लगन राम, ग्राम परसा— समर्थन करता हूँ।
468. श्रीमती राजेश, ग्राम घाटबर्ग — जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
469. श्रीमती चारु बाई, ग्राम बासेन—अदानी का विरोध करती हूँ।
470. कु. राधा पोर्ते, ग्राम साल्ही, — अदानी का समर्थन करती हूँ।
471. श्रीमती फुलकुंवर, ग्राम जनार्दनपुर— अदानी का समर्थन करती हूँ।
472. श्री विवेक पोर्ते, ग्राम जनार्दनपुर— अदानी का समर्थन करता हूँ।
473. श्रीमती रतनिया बाई, ग्राम—सलका— अदानी का समर्थन करती हूँ।
474. श्री देवांगन, ग्राम साल्ही—अदानी कोल माईन का विरोध करता हूँ।
475. श्रीमती तीजो बाई, ग्राम साल्ही— अदानी का समर्थन करती हूँ।
476. श्री नाथू राम उईके, ग्राम गिदमुड़ी—हमारे भाई बहन, माता लोगों को ये लोग खिलाते हैं इसलिए ये लोग समर्थन समर्थन करते हैं।
477. श्रीमती मुन्नी बाई, ग्राम गिदमुड़ी— अदानी का समर्थन ।

478. श्री गौतम प्रसाद राजवाड़े, ग्राम घाटबर्ग— मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
479. श्री विसेश्वर, ग्राम घाटबर्ग— मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
480. श्रीमती प्रियंका सिंह, उदयपुर— मैं अदानी कोल माईन का समर्थन करता हूँ।
481. कु. सुनीता दास, ग्राम सलका—मैं अदानी का समर्थन करती हूँ।
482. श्रीमती विनोद बाई, ग्राम डांडगांव— परसा कोल का समर्थन है।
483. श्री मनोज तिर्की, ग्राम घाटबर्ग— मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
484. कु. काजल तिवारी, ग्राम घाटबर्ग— अदानी का समर्थन करती हूँ।
485. श्री महेन्द्र राजवाड़े, ग्राम घाटबर्ग— मैं अदानी का समर्थन करता हूँ।
486. श्रीमती सुनीता, ग्राम घाटबर्ग— पट्टा और रोजगार मिले मैं समर्थन करती हूँ।
487. श्रीमती प्रतिमा ठाकुर, ग्राम साल्ही—मैं अदानी का समर्थन करती हूँ। अदानी जब से आई है हमको कम्प्यूटर एवं सिलाई सीखने का मौका मिला है।
488. श्रीमती बिंदिया, ग्राम बासेन— अदानी का समर्थन करती हूँ।
489. श्री सुदर्शन, ग्राम घाटबर्ग— अदानी का समर्थन करता हूँ।
490. श्री पंचमराम राजवाड़े, ग्राम घाटबर्ग— अदानी का समर्थन करता हूँ।
491. श्रीमती गीता यादव, ग्राम परसा— अदानी का समर्थन करती हूँ।
492. श्रीमती सुनीता, ग्राम गुमगा— अदानी का समर्थन करती हूँ।
493. श्रीमती सोनमती, ग्राम परसा— मैं अदानी का समर्थन करती हूँ।
494. श्री शिव शंकर, ग्राम घाटबर्ग— अदानी का समर्थन करता हूँ।
495. श्री सुखलाल लोहार, ग्राम घाटबर्ग— अदानी को समर्थन करता हूँ।
496. श्री नोहर साय, ग्राम घाटबरा— अदानी का समर्थन करता हूँ।
497. श्रीमती रतालो, ग्राम फतेहपुर— समर्थन है।
498. श्रीमती ममता, ग्राम फतेहपुर— मैं अदानी का समर्थन करती हूँ।
499. श्री मुकेश कुमार, ग्राम घाटबर्ग— मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
500. श्रीमती ममता, ग्राम घाटबर्ग— मांग पूरी नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं जन सुनवाई का विरोध करती हूँ।
501. श्री राजाराम, ग्राम गुमगा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
502. श्री देवदत्त, ग्राम घाटबर्ग— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
503. श्री विजय, ग्राम घाटबर्ग— अदानी को समर्थन करता हूँ।
504. श्री दिगम्बर यादव, ग्राम घाटबर्ग— पर्यावरण को समर्थन करता हूँ।
505. श्रीमती राम बाई करियाम, ग्राम इमलीपारा— मैं अदानी कोल माईन का समर्थन करती हूँ। नदी में गंदा पानी छोड़ते हैं उसको न छोड़ें। गांव में जो बच्चे 10वीं, 12वीं तक उन बच्चों के लिये ट्यू” इन की व्यवस्था की जाये। पानी की व्यवस्था की जाये।
506. श्री तीरथ राम, ग्राम घाटबर्ग— पर्यावरण को समर्थन करता हूँ।
507. श्री भयाम, ग्राम घाटबर्ग— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
508. कु. निर्मला, ग्राम घाटबर्ग— जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
509. श्री सूरज, ग्राम घाटबर्ग— अदानी को समर्थन करता हूँ।
510. श्री पुष्पा यादव, ग्राम घाटबर्ग इमलीपारा— हमारे गांव में घर घर नल दिया गया है लेकिन हमारे मुहल्ले में पानी नहीं आता है। हमारा अनुरोध है कि घर घर में पानी आना चाहिए। पाईप फूट गया है उसको बनवा दीजिए। समर्थन करती हूँ।
511. श्री शिवरतन सिंह, ग्राम करकली— पर्यावरण को समर्थन करता हूँ।
512. श्रीमती प्रमिला, ग्राम फतेहपुर— मैं अदानी को समर्थन करती हूँ।
513. श्रीमती फुलकुंवर, ग्राम फतेहपुर— मैं अदानी का विरोध करती हूँ।
514. श्री बिलासराव, ग्राम मूड़ापारा—अदानी का समर्थन करता हूँ।

515. श्रीमती प्रमिला, साल्ही इमलीपारा—अदानी का विरोध करती हूँ मांग को पूरा नहीं करते हैं।
516. श्री राजकुमार दुबे, ग्राम घाटबर्गा— मैं अदानी का समर्थन करता हूँ।
517. श्री बहल राम, ग्राम परोगिया— समर्थन है।
518. श्रीमती बंदना खोटे, ग्राम साल्ही— मैं अदानी में कोर्डिनेटर हूँ। यहां महिलाओं का एक कमेटी बनाया गया है जिसमें 250 महिलाएं हैं इसमें महिलाओं को रोजगार मिलेगा। परसा कोल ब्लॉक का समर्थन करती हूँ।
519. कु. सरिता दास, ग्राम सलका— मैं परसा कोल ब्लॉक का समर्थन करती हूँ। साथ में नौ महिलाएं भी समर्थन दे रहे हैं।
520. श्रीमती पूजा, ग्राम घाटबर्गा— मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
521. श्रीमती सरस्वती यादव, ग्राम परसा— मैं कोल माईन का समर्थन करती हूँ।
522. श्री राजकुमार, ग्राम घाटबर्गा— अदानी का समर्थन करता हूँ।
523. श्री सुखराम, ग्राम घाटबर्गा— समर्थन करता हूँ।
524. श्री बाल साय, ग्राम सैदू—जन सुनवाई का समर्थन है।
525. श्री बंधनराम, ग्राम घाटबर्गा— मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
526. श्री अखिलेश कुमार उईके, ग्राम परोगिया— मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
527. श्रीमती गायत्री, ग्राम शिवनगर— परसा कोल ब्लॉक का समर्थन करती हूँ।
528. श्री जनम राम पैकरा, ग्राम गुमगा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
529. श्री गोविंद सिंह पैकरा, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
530. श्री संतोषी विश्वकर्मा, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
531. श्री रामलखन सिंह, ग्राम घाटबर्गा— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
532. श्री दीनदयाल, ग्राम परोगिया— जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ।
533. श्रीमती मुन्नी बाई, ग्राम घाटबर्गा— समर्थन है।
534. श्री शिव रतन सिंह, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
535. श्रीमती इंदो, ग्राम जनार्दनपुर— अदानी का समर्थन करती हूँ।
536. श्रीमती फुलकुंवर, ग्राम फतेहपुर— लोक सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
537. श्रीमती उंजा, ग्राम फतेहपुर— अदानी को समर्थन करती हूँ।
538. श्री सूरजभान, ग्राम परोगिया—जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
539. श्री वीर साय, ग्राम घाटबर्गा— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
540. श्री शंकर, ग्राम परोगिया— मैं जन सुनवाई को समर्थन करता हूँ।
541. श्री धनीराम, ग्राम परोगिया— अदानी का विरोध करता हूँ।
542. श्री शिव रतन सिंह, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
543. श्री राम सिंह, ग्राम घाटबर्गा— जमीन का पट्टा चाहिए।
544. श्री रघुनाथ सिंह, ग्राम फतेहपुर—कैते परसा, साल्ही, हरिहरपुर जमीन दिये हैं उनका समर्थन करता हूँ।
545. श्री रामेश्वर पैकरा, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
546. श्रीमती उजियारो, ग्राम फतेहपुर— जन सुनवाई का विरोध हूँ।
547. श्रीमती सोनकुंवर, ग्राम फतेहपुर— हमको पट्टा चाहिए।
548. श्रीमती सावित्री, ग्राम फतेहपुर— लोक सुनवाई का समर्थन।
549. श्रीमती संतरा, ग्राम फतेहपुर— अदानी का समर्थन।
550. श्री कृष्णा, ग्राम गुमगा पारा— लोकसुनवाई का समर्थन है।
551. श्री राजू बसोड, ग्राम बासेन—10वी. 12वी. पढ़े हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए।
552. श्री सोमर साय, ग्राम फतेहपुर— समर्थन है।
553. श्रीमती प्रमिला, ग्राम फतेहपुर— लोकसुनवाई का समर्थन करती हूँ।

554. श्रीमती फूलमती, ग्राम फतेहपुर— परसा कोल ब्लाक का समर्थन करती हूँ।
555. श्रीमती प्रीतम कुमारी, ग्राम फतेहपुर— अदानी का समर्थन करती हूँ।
556. श्री रूप साय, ग्राम गुमगा— पर्यावरण जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
557. श्रीमती धनेश्वरी, ग्राम फतेहपुर— लोकसुनवाई का समर्थन करती हूँ।
558. श्रीमती ज्ञानो बाई, ग्राम फतेहपुर— समर्थन करती हूँ।
559. श्रीमती संतरा बाई, ग्राम फतेहपुर— अदानी को समर्थन करती हूँ।
560. श्री नवल साय, ग्राम फतेहपुर— अदानी को समर्थन करता हूँ।
561. श्री रूप साय तिग्गा, ग्राम फतेहपुर— अदानी को विरोध करता हूँ।
562. श्रीमती सुनीता, ग्राम परसा— कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
563. श्रीमती मायावती, ग्राम फतेहपुर— अदानी का विरोध है।
564. श्री नामदेव, ग्राम घाटबर्गा— अदानी को समर्थन करता हूँ।
565. श्री रूप कुमार, ग्राम घाटबर्गा— अदानी को समर्थन करता हूँ।
566. श्रीमती सुनीता, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
567. श्रीमती रतन बाई, ग्राम घाटबर्गा— कोयला खदान का विरोध करती हूँ।
568. श्री हलधर राम, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का विरोध है।
569. श्री नोहर साय, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का समर्थन है।
570. श्री ठाकुर दास, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का विरोध है।
571. श्रीमती सावित्री, ग्राम फतेहपुर— जन सुनवाई का समर्थन है।
572. श्रीमती फुलबसिया, ग्राम घाटबर्गा— समर्थन है।
573. कु. राजमती, ग्राम फतेहपुर— जन सुनवाई का समर्थन है।
574. श्री शेखर तिर्की, ग्राम घाटबर्गा— पर्यावरण जन सुनवाई का समर्थन है।
575. श्री विनोद सिंह पोर्ते, ग्राम परोगिया— जन सुनवाई का समर्थन है।
576. श्रीमती मीरा बाई, ग्राम परोगिया— मांग पूरी नहीं होने पर जन सुनवाई का विरोध है।
577. श्रीमती प्रमिला, ग्राम फतेहपुर— जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
578. कु. रमिया, ग्राम फतेहपुर— अदानी का समर्थन करती हूँ।
579. श्रीमती विद्यावती, ग्राम बासेन— कम्प्यूटर सेंटर एक माह में बंद हो गया तथा सिलाई सेंटर भी एक माह में बंद कर दिया गया है। यहां विकास नहीं हो रहा है। मैं जन सुनवाई का विरोध करती हूँ।
580. श्री जगदीश प्रसाद यादव, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
581. श्रीमती गौरी बाई, ग्राम बासेन— विरोध है।
582. श्री पन्ना लाल यादव, ग्राम घाटबर्गा— विकास के नाम पर जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
583. श्रीमती रमिया, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का समर्थन है।
584. श्रीमती विद्या बाई, ग्राम बासेन— पानी की कमी है बोरिंग नहीं कराये है जन सुनवाई का विरोध करती हूँ।
585. श्रीमती रुकमनिया, ग्राम घाटबर्गा— अदानी का समर्थन है।
586. श्रीमती राधा सिंह, ग्राम तारा— हमारे गांव में लाइट नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है। स्कूल नहीं है। कम शिक्षक होने के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती है। गांव प्रदूषित जो रहा है। हाईवा चलने से धूल उड़ती है रोड मे रोज पानी का छिड़काव करें। महिलाएं जितना आगे आना चाहती हैं उन्हे दबाया जाता है। गांव का काम मिल जुलकर किया जाय। जो भी विकास का काम हो उसे पास किया जाये। हमारे गांव के जितने बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाय। कम्प्यूटर सेंटर, सिलाई सेंटर खोला जाये। अदानी का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ।

587. श्री रमेश यादव, ग्राम घाटबर्वा— अदानी ने हमारे गांव में कम्प्यूटर क्लास खोला गया है। कम्प्यूटर का जाब ऑफर किया गया है ।
588. श्रीमती सुमरन, ग्राम घाटबर्वा— समर्थन है।
589. कु. सरस्वती पोर्ते, ग्राम फतेहपुर— हम लोग पढ़े लिखें है नौकरी चाहिए।
590. श्री सुभाष राम, ग्राम परोगिया— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
591. श्री अरुण साय, ग्राम परोगिया—जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
592. श्री जमना यादव, ग्राम फतेहपुर— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
593. श्रीमती जानकी, ग्राम जनार्दनपुर— जन सुनवाई का विरोध है।
594. श्री राजेश प्रसाद, ग्राम घाटबर्वा—जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
595. श्री संदीप कुमार यादव, ग्राम घाटबर्वा—जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
596. श्रीमती किरन सिंह, ग्राम फतेहपुर— जन सुनवाई का समर्थन करती है। जिस जमीन का पट्टा नहीं बना है उनका पट्टा बनना चाहिए।
597. कु. सरिता, ग्राम मेंड्रा— जनसुनवाई का समर्थन है।
598. श्रीमती मौसमी विश्वास, ग्राम तारा—समर्थन करती हूँ।
599. कु.सविता सिंह सिलवटे, ग्राम मेंड्रा— समर्थन करती हूँ।
600. कु. कलावती मरकाम, प्रेमनगर—अदानी कोल माईन्स को समर्थन करना चाहती हूँ।
601. श्री सुखराम यादव, ग्राम घाटबर्वा—मैं लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
602. श्री धनसाय, ग्राम घाटबर्वा— अदानी का समर्थन करता हूँ।
603. श्री अमरेश, ग्राम फतेहपुर— मैं विरोध करता हूँ।
604. कु. विद्या यादव, केतमा— अदानी कोल माईन्स का समर्थन करती हूँ।
605. श्रीमती ज्ञानू बाई, ग्राम परसा— पानी नहीं मिलता है बिजली नहीं मिलता है।
606. श्री मंगल साय, ग्राम खोंधला— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
607. श्री भानू राम, ग्राम खोंधला— समर्थन करता हूँ।
608. श्री प्रदीप कुमार, ग्राम घाटबर्वा— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
609. श्री पोर्ते, ग्राम घाटबर्वा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
610. श्री शिव मंगल राम, ग्राम घाटबर्वा— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
611. श्रीमती सुमारी बाई, ग्राम घाटबर्वा— समर्थन है।
612. श्रीमती तुलसी बाई, ग्राम घाटबर्वा— समर्थन है।
613. श्रीमती लीला बाई, ग्राम फतेहपुर— समर्थन है।
614. श्री बल्लू राम, ग्राम फतेहपुर— विरोध है।
615. श्री शिव कुमार, ग्राम घाटबर्वा— अदानी का समर्थन करता हूँ।
616. श्रीमती सुखमनिया, उदयपुर—अदानी का समर्थन करती हूँ।
617. श्री सुरेश, ग्राम फतेहपुर— अदानी का समर्थन करता हूँ।
618. श्री मान सिंह, ग्राम खोंधल— समर्थन ।
619. श्री संतोष कुमार यादव, ग्राम घाटबर्वा— अदानी का समर्थन करता हूँ।
620. श्रीमती उरवसी, उदयपुर—साल्ही कोल ब्लॉक का समर्थन करती हूँ।
621. श्रीमती मीना, उदयपुर— साल्ही कोल ब्लॉक का समर्थन करती हूँ।
622. श्री करम साय, परोगिया—अदानी को समर्थन करता हूँ।
623. श्री जतन राम, फतेहपुर— अदानी को समर्थन करता हूँ।
624. श्रीमती रमातो, ग्राम घाटबर्वा— जमीन का पट्टा नहीं मिला है।
625. श्रीमती उमापति, उदयपुर— साल्ही कोल ब्लॉक का समर्थन करती हूँ।
626. श्री रामबिलास, ग्राम घाटबर्वा—मैं अदानी का समर्थन करता हूँ।
627. श्रीमती रामबाई, उदयपुर— साल्ही कोल ब्लॉक का समर्थन करती हूँ।
628. श्रीमती सावित्री, ग्राम घाटबर्वा— साल्ही कोल ब्लॉक का समर्थन करती हूँ।
629. श्री राम, ग्राम घाटबर्वा— अदानी का समर्थन करती हूँ।

630. श्रीमती लीलावती, ग्राम-मेंझा- मैं अदानी का समर्थन करती हूँ।
631. श्री लल्लू राम, ग्राम घाटबर्गा- अदानी का समर्थन करता हूँ।
632. श्रीमती जानकी, ग्राम घाटबर्गा-कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
633. श्री गंगा प्रसाद, ग्राम फतेहपुर-खदान खोलना चाहता हूँ।
634. श्रीमती पर्वतिया, ग्राम घाटबर्गा- पानी नहीं है समर्थन है।
635. श्री मंगल साय, ग्राम घाटबर्गा- आज की जन सुनवाई का हम विरोध कर रहे हैं।
636. श्रीमती बिफैया सिंह, ग्राम घाटबर्गा-कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
637. श्रीमती डोहरी, ग्राम फतेहपुर-समर्थन है।
638. श्रीमती रामेश्वरी, ग्राम फतेहपुर-कोयला खदान का विरोध करती हूँ।
639. श्री लालमुनि यादव, ग्राम घाटबर्गा-अदानी का समर्थन करता हूँ।
640. श्रीमती सुखमतिया, ग्राम फतेहपुर-विरोध करती हूँ।
641. श्री भुनेश्वर सिंह, ग्राम खोंधला-जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
642. श्री अनुज लाल मरकाम, ग्राम घाटबर्गा-आज की जन सुनवाई का विरोध करता हूँ।
643. श्रीमती सरिता सिंह पोर्ते, ग्राम जनार्दनपुर- अदानी को समर्थन करती हूँ।
644. श्री निर्मल, ग्राम घाटबर्गा-जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
645. श्री रामलाल, ग्राम परोगिया- जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
646. श्री जगत राम, ग्राम घाटबर्गा- जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
647. श्रीमती सुकमनिया, ग्राम मेंझा - जन सुनवाई विरोध हैं।
648. श्री समर प्रसाद दुबे, ग्राम फतेहपुर- जन सुनवाई का हम विरोध कर रहे हैं।
649. कु. संतरा, ग्राम जनार्दनपुर- अदानी को समर्थन करती हूँ।
650. श्री जय लाल, ग्राम घाटबर्गा- समर्थन हैं।
651. कु. गीता, ग्राम जनार्दनपुर- समर्थन करती हूँ।
652. श्री राम साय, ग्राम गुमगा- मैं इस जन सुनवाई का समर्थन कर रहा हूँ।
653. कु. मुनिया, ग्राम घाटबर्गा- समर्थन करना चाहती हूँ।
654. श्री परशुराम, ग्राम घाटबर्गा-विरोध नहीं करेंगे। पूरी व्यवस्था हो जानी चाहिए।
इसलिए जन सुनवाई को समर्थन देना चाहता हूँ।
655. श्रीमती नहियारो- जन सुनवाई का हम विरोध कर रहे हैं।
656. श्रीमती गेंदी बाई, ग्राम जगतपुर- समर्थन है।
657. श्री रामबिलास, उदयपुर-अदानी को समर्थन करता हूँ।
658. श्रीमती धनेश्वरी फतेहपुर- अदानी को बंद करते है।
659. श्री चंद्रभान, ग्राम घाटबर्गा-मैं जन सुनवाई का विरोध कर रहा हूँ।
660. श्रीमती बिलासो बाई, ग्राम घाटबर्गा- अदानी का समर्थन है।
661. श्री मुंजार, ग्राम गुमगा-मैं जन सुनवाई का समर्थन कर रहा हूँ।
662. श्रीमती मुनेश्वरी, ग्राम गुमगा- समर्थन।
663. श्री हिम्मत सिंह, ग्राम साल्ही- परसा कोल माईन का समर्थन करता हूँ।
664. श्रीमती किरन, ग्राम परसा-अदानी को समर्थन करती हूँ।
665. श्रीमती देव बाई, ग्राम परसा-अदानी को समर्थन करती हूँ।
666. श्रीमती सनी बाई, ग्राम परसा-अदानी को समर्थन करती हूँ।
667. श्री विवेक, ग्राम घाटबर्गा-अदानी को समर्थन करता हूँ।
668. श्रीमती कुंती बाई, ग्राम घाटबर्गा-अदानी को समर्थन करती हूँ।
669. श्री शेर सिंह, ग्राम घाटर्गा-परसा कोल ब्लॉक का समर्थन करता हूँ।
670. श्रीमती बिफैया बाई, ग्राम गुमगा- अदानी को समर्थन करती हूँ।
671. श्री शुकुल राम, घाटबर्गा-अदानी का समर्थन है।
672. श्रीमती लीलावती, ग्राम गुमगा-अदानी का समर्थन है।

673. श्री ललुआराम, ग्राम घाटबर्वा—अदानी का विरोध करता हूँ।
 674. श्रीमती रजनी बाई, ग्राम घाटबर्वा—अदानी का विरोध है।
 675. श्रीमती बुधनी, ग्राम घाटबर्वा—अदानी का विरोध है।
 676. श्री राजेश पोर्ते, ग्राम साल्ही— मैं अदानी मे काम करता हूँ।
 677. श्रीमती सती बाई, ग्राम सलका—अदानी का समर्थन है।
 678. श्रीमती फुलबसिया, ग्राम फतेहपुर— अदानी का विरोध करती हूँ।
 679. श्री वीर साय, ग्राम घाटबर्वा—अदानी का समर्थन करता हूँ।
 680. श्री निर्मल सिंह, ग्राम फतेहपुर— इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
 681. श्री गिरवरराम, ग्राम फतेहपुर—अदानी कोल माईन का विरोध करता हूँ।
 682. श्री बंधानो बाई, ग्राम हरिहपुर—अदानी का विरोध है।
 683. श्री जयलाल, ग्राम घाटबर्वा—जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
 684. श्रीमती समल बाई, ग्राम हरिहरपुर—कोयला खदान का समर्थन है।
 685. श्री विशेश्वर उदयपुर—लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
 686. श्रीमती दिलेश्वरी — जन सुनवाई का विरोध है।
 687. श्री विवेक सिंह, ग्राम परसा—जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
 688. श्रीमती दिलो बाई, ग्राम हरिहरपुर—कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
 689. श्री बीर साय यादव— ग्राम घाटबर्वा—जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
 690. श्रीमती सुमित्रा बाई, ग्राम फतेहपुर— कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
 691. श्री शिव कुमार, ग्राम घाटबर्वा—अदानी का समर्थन करता हूँ।
 692. श्रीमती अनीता राम, ग्राम हरिहरपुर—अदानी का समर्थन है।
 693. श्री रविन्द्र सिंह, ग्राम फतेहपुर—अदानी का समर्थन करता हूँ।
 694. श्री रीता, ग्राम हरिहरपुर— अदानी का समर्थन करती हूँ।
 695. श्री प्रभु दयाल यादव, ग्राम घाटबर्वा— अदानी का समर्थन करता हूँ।
 696. ग्राम फतेहपुर से — अदानी का विरोध करती हूँ।
 697. श्री केतू राम, ग्राम परसा—हमारे गांव में पानी की समस्या है।
 698. श्रीमती चंदनमती, ग्राम फतेहपुर— अदानी का समर्थन करती हूँ।
 699. श्री बीरसाय, ग्राम केते— अदानी का समर्थन करता हूँ।
 700. श्री देवमन, ग्राम घाटबर्वा—कोल माईन को समर्थन दे रहा हूँ।
 701. श्रीमती कुमारोबाई,ग्राम फतेहपुर—समर्थन है।
 702. श्री दीनू राम, ग्राम घाटबर्वा—समर्थन है।
 703. श्रीमती बनासो, ग्राम घाटबर्वा— समर्थन है।
 704. श्री समयलाल, ग्राम घाटबर्वा—अदानी का विरोध करता हूँ।
 705. श्री सुमारो बाई, ग्राम फतेहपुर—खदान का समर्थन ।
 706. श्री सेतराम यादव, ग्राम पेंडरखी—पर्यावरण जन स्वीकृति का मैं तहे दिल से समथन करता हूँ।
 707. श्रीमती बबली, ग्राम हरिहरपुर— मैं अदानी का समर्थन करती हूँ।
 708. श्रीमती सुखमातो, ग्राम हरिहरपुर— मैं अदानी का समर्थन करती हूँ।
 709. श्री परशुराम, ग्राम हरिहरपुर—अदानी को समर्थन करता हूँ।
 710. श्रीमती मानकुंवर, ग्राम फतेहपुर— मैं विरोध करती हूँ।
 711. श्री खेलसाय, गुमगा—अदानी को समर्थन करता हूँ।
 712. ग्राम फतेहपुर से — विरोध है।
 713. श्रीमती अनीता, उदयपुर—अदानी का समर्थन करती हूँ।
 714. श्री घनश्याम, ग्राम घाटबर्वा—अदानी को समर्थन करता हूँ।
 715. श्रीमती जानकी, उदयपुर ब्लाक—अदानी को समर्थन करती हूँ।

716. श्री समयलाल मरकाम, ग्राम फतेहपुर—लोक सुनवाई का विरोध करता हूँ। फतेहपुर, हरिहरपुर, चारपारा, जजगा की जमीन इसमें जा रही है। हमारा घर जल रहा है।
717. श्रीमती संतरा, ग्राम हरिहरपुर— मैं जन सुनवाई का सपोर्ट करती हूँ।
718. श्री आशाराम, ग्राम फतेहपुर— मैं जन सुनवाई का विरोध करता हूँ।
719. श्रीमतो हिरनी बाई, ग्राम हरिहरपुर— जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
720. श्रीमती धनबासो, ग्राम हरिहरपुर— कोयला खदान को समर्थन।
721. श्री धनराम, ग्राम हरिहरपुर— मैं अदानी का समर्थन करता हूँ। वशर्ते हमारी मांग पूरी करें।
722. श्रीमती बसंती, उदयपुर—अदानी का समर्थन करती हूँ।
723. श्री मोहन, ग्राम घाटबर्गा— खदान का समर्थन करता हूँ।
724. श्रीमती सुमित्रा, ग्राम जनार्दनपुर—जय जुहार।
725. श्रीराम, ग्राम फतेहपुर—कंपनी को समर्थन देता हूँ।
726. श्रीमती सावित्री, उदयपुर—अदानी कोल खदान को समर्थन करती हूँ।
727. श्री नथूराम पथेरा, ग्राम फतेहपुर—अदानी का विरोध करता हूँ।
728. कु. धनासो, ग्राम जनार्दनपुर—मैं कोयला उत्खनन को समर्थन करना चाहती हूँ।
729. श्री बीरसाय, ग्राम बासेन—कोयला खदान का विरोध करता हूँ।
730. श्रीमती बसंती, ग्राम हरिहरपुर— कोयला खदान को समर्थन।
731. श्री सोनसाय, ग्राम पेंडरखी, सरपंच— कोयला खदान को समर्थन।
732. श्रीमतो संजना विश्वकर्मा, ग्राम हरिहरपुर— अदानी का समर्थन करती हूँ।
733. श्री हूकुम सिंह पोर्ते, ग्राम फतेहपुर— अदानी का समर्थन करता हूँ।
734. श्रीमती रजनी, उदयपुर—परसा कोल माईन का समर्थन करती हूँ।
735. श्री राजवाड़े, ग्राम—पेंडरखी—लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
736. श्रीमती सुखमनिया बाई, ग्राम जनार्दनपुर—अदानी को समर्थन है।
737. श्री मंजुलता, ग्राम हरिहरपुर— अदानी का समर्थन करती हूँ।
738. श्री मुन्नालाल, ग्राम पेंडरखी—अदानी का समर्थन करता हूँ।
739. श्रीमती सावित्री सिंह, ग्राम साल्ही—परसा कोल ब्लॉक का समर्थन करती हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पर जो काम किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा है। जब कंपनी नहीं आई थी तब ये लाभ नहीं मिल रहा था। अब ये लाभ मिल रहा है। धन्यवाद।
740. श्री धरम सिंह आर्मी, ग्राम केते—मैं पूरा विरोध करता हूँ।
741. कु. सबीना, ग्राम जनार्दनपुर—मैं अदानी का समर्थन करती हूँ।
742. श्री खेलाराम, ग्राम पेंडरखी— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
743. श्रीमती मुनिया बाई, ग्राम हरिहरपुर—मैं खदान का विरोध करती हूँ।
744. श्री पोर्ते, ग्राम हरिहरपुर—मैं जन सुनवाई का विरोध करता हूँ। और ये जन सुनवाई निरस्त होना चाहिए।
745. श्रीमती पर्वतिया, ग्राम फतेहपुर—जन सुनवाई का विरोध करती हूँ।
746. श्री महेश्वर सिंह, ग्राम फतेहपुर—मेरी मांग है वो पूरी हो जाये मैं समर्थन करता हूँ।
747. श्रीमती फुलबसिया, ग्राम जनार्दनपुर—मैं अदानी का समर्थन करती हूँ।
748. श्रीमती गुलाबो, ग्राम जनार्दनपुर—अदानी का विरोधी हूँ।
749. श्री जगसाय पोर्ते, ग्राम घाटबर्गा—मैं लोकसुनवाई का समर्थन करता हूँ।
750. श्रीमती मुन्नी बाई जनार्दनपुर— कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
751. श्री संतोष कुमार, सूरजपुर— अदानी कोल माईन का समर्थन करता हूँ।
752. श्रीमती कुंती, ग्राम हरिहरपुर— कोयला खदान का विरोध है।
753. श्री मनोज कोराम, ग्राम शिवनगर — अदानी को सपोर्ट करता हूँ ।

754. श्रीमती पार्वती, ग्राम हरिहरपुर—कोयला खदान का विरोध ।
755. श्री संदीप कुमार यादव, ग्राम घाटबर्वा— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
756. श्रीमती सरस्वती, ग्राम हरिहरपुर— खदान का विरोध करती हूँ ।
757. श्री विनोद कुमार, उदयपुर—लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
758. श्रीमती सुखारो बाई, ग्राम पतरापारा— खदान का विरोध है।
759. श्री दीपक कुमार पैकरा— इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
760. ग्राम हरिहरपुर से—खदान का विरोध है।
761. श्री रमेश कुमार राजवाड़े, करजी— अदानी को समर्थन करता हूँ।
762. श्री धनसाय ग्राम घाटबर्वा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
763. श्रीमती सरोज, ग्राम जनार्दनपुर— समर्थन करती हूँ।
764. श्री दिनेश कुमार, उदयपुर— अदानी कोल माईन्स को समर्थन करता हूँ।
765. श्रीमती जमुनी बाई, उदयपुर—समर्थन है।
766. श्री गुप्ता, ग्राम फतेहपुर— अदानी का समर्थन करता हूँ ।
767. श्रीमती सुनीता बाई, ग्राम फतेहपुर— अदानी का विरोध करती हूँ।
768. श्री हरीश कुमार, ग्राम गुमगा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
769. श्रीमती सुखनी, ग्राम हरिहरपुर— अदानी का समर्थन है।
770. श्री राम नरेश यादव, ग्राम परोगिया— अदानी को समर्थन करता हूँ ।
771. ग्राम हरिहरपुर से — अदानी का विरोध है ।
772. श्री गया प्रसाद, उदयपुर— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
773. श्रीमती फुलमतिया — विरोध करती हूँ ।
774. श्री नारायण राजवाड़े, ग्राम सलका— अदानी का समर्थन करता हूँ ।
775. श्री धीरेन्द्र, ग्राम सलका— अदानी का समर्थन करता हूँ ।
776. श्रीमती उरवसी, ग्राम फतेहपुर— विरोध करती हूँ।
777. श्री उमेश्वर सिंह, ग्राम साल्ही— अदानी को समर्थन करता हूँ ।
778. श्रीमती बसंती, ग्राम साल्ही—विरोध करती हूँ।
779. श्री भोलेशंकर— अदानी का समर्थन करता हूँ ।
780. श्रीमती कुंती ग्राम बासेन सरपंच— कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
781. श्री उमाशंकर, ग्राम सरगवां— अदानी का समर्थन करता हूँ ।
782. श्रीमती कुंती यादव, ग्राम बासेन— कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
783. श्री राजेन्द्र — अदानी का समर्थन करता हूँ ।
784. ग्राम हरिहपुर से — खदान का समर्थन ।
785. श्री सोमार साय, ग्राम परोगिया— अदानी का समर्थन करता हूँ ।
786. श्रीमती उंजारो बाई, ग्राम हरिहरपुर— समर्थन ।
787. श्री भजन राम, ग्राम हरिहरपुर— अदानी का विरोध करता हूँ ।
788. श्रीमती संपतिया, ग्राम हरिहरपुर— मैं खदान को बंद करती हूँ ।
789. श्री भगत राम प्रजापति, ग्राम परोगिया—हमारी मांग पूरी करें तो समर्थन करता हूँ।
790. श्री बुधराम गौड, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
791. श्रीमती मुन्नी बाई, ग्राम घाटबर्वा— कोयला खदान का विरोध करते हैं।
792. श्रीमती धुमली बाई, ग्राम घाटबर्वा— समर्थन है।
793. श्री सोहन, ग्राम घाटबर्वा— कोयला खदान को समर्थन देते हैं।
794. श्री अनंत राम पोर्ते, ग्राम घाटबर्वा— अदानी कोल माईन का हम विरोध नहीं करते हैं। कब्जे की जमीन का पट्टा बनाकर दें।
795. श्रीमती बटई बाई, ग्राम घाटबर्वा— समर्थन है।
796. श्री सुमेर, ग्राम गिदमुडी— समर्थन है।

797. श्रीमती सीमा, उदयपुर— अदानी कोल ब्लाक का समर्थन करती हूँ।
798. श्री पवनसाय, ग्राम साल्ही— समर्थन करता हूँ।
799. श्री राजभान सिंह पैकरा, ग्राम गिदमुड़ी— मैं इस पर्यावरण जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ। हमारे जैसे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये मैं कंपनी से मांग करता हूँ।
800. श्रीमती गणेश्वरी, उदयपुर—अदानी कोल ब्लाक को समर्थन देती हूँ।
801. श्रीमती भानमति, उदयपुर— अदानी कोल ब्लाक को समर्थन देती हूँ।
802. श्रीमती सावित्री सिंह आर्मा, ग्राम घाटबर्गा— मैं शिक्षा, स्वास्थ्य को देखते हुएपरसा कोल ब्लाक का समर्थन करती हूँ।
803. श्रीमती जिगनी बाई, ग्राम पेंडरखी— समर्थन है।
804. श्रीमती फुलेश्वरी, उदयपुर— अदानी को समर्थन करती हूँ।
805. श्रीमती सूरज मनि, ग्राम हरिहरपुर— कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
806. श्रीमती सुनीता, ग्राम बासेन— कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
807. श्रीमती दुरति, ग्राम बासेन— कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
808. श्रीमती ऋतु शर्मा, उदयपुर— साल्ही कोल परियोजना का समर्थन करती हूँ और मेरे साथ 40 लोगों का और समर्थन है।
809. श्री अर्जुन कुमार, ग्राम तारा चारपारा— अदानी कोल माईन को समर्थन देता हूँ।
810. श्री विनोद कुमार पैकरा—ग्राम गिदमुड़ी— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
811. श्री रमेश, ग्राम गिदमुड़ी— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
812. श्री शिवनारायण— ग्राम गिदमुड़ी— खदान का समर्थन करता हूँ।
813. श्री नोहर साय, ग्राम घाटबर्गा— समर्थन करता हूँ।
814. श्री गणेश यादव, ग्राम परसा— लोक सुनवाई का भरपूर समर्थन करता हूँ क्योंकि इसमें विकास है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। एम्बुलेंस की सुविधा मिल रही है। अदानी कंपनी के आने से मूलभूमि सुविधा मिल रही है।
815. श्री हीरा लाल यादव, ग्राम घाटबर्गा— बिजली, पानी, सड़क सारी सुविधा यह कंपनी दे रही है इसके चलते है हम आगे बढ़ते जा रहे है इसलिए हम लोकसुनवाई का समर्थन करते हैं।
816. श्री तीजराम, ग्राम परसा — जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
817. श्री राम विश्वकर्मा, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
818. श्री गणेश कुमार यादव, ग्राम घाटबर्गा— परसा कोल ब्लाक का समर्थन करता हूँ।
819. श्री पवन दास, ग्राम परोगिया — मैं अदानी का समर्थन करता हूँ।
820. श्री राम सिंह मरकाम, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
821. श्री प्रीतम राजवाड़े— ग्राम घाटबर्गा— अदानी कोल ब्लाक का समर्थन करता हूँ।
822. श्री तीज धर, ग्राम घाटबर्गा— परसा कोल ब्लाक का समर्थन करता हूँ।
823. श्री सोमारु राम यादव, ग्राम घाटबर्गा— अदानी के आने से हमारे यहां अच्छा विकास हुआ है। खदान समर्थन करता हूँ।
824. श्री हरदयाल, ग्राम घाटबर्गा— अदानी का समर्थन करता हूँ। श्री धीराम— घाट— समर्थन।
825. श्री राजू, ग्राम घाटबर्गा— अदानी का समर्थन करता हूँ।
826. श्री अंबिका प्रसाद यादव, प्रेमनगर— मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
827. श्री जमना प्रसाद, ग्राम घाटबर्गा— इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
828. श्री प्रीतम सिंह, ग्राम घाटबर्गा— इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
829. श्री जगदीश कुमार, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
830. श्री सेतराम, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
831. श्री जनेउराम, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।

832. श्री सुमेर दास, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ ।
833. श्री नाथू राम यादव, ग्राम परसा— इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ ।
834. श्री दीनानाथ यादव— ग्राम परसा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ ।
835. श्री अमृत लाल यादव, ग्राम पूटा — मैं अदानी का समर्थन करता हूँ ।
836. श्री जनार्दन दास महंत, ग्राम पूटा — मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ ।
837. श्री संपत राम, ग्राम सलका— जन सुनवाई का समर्थन है ।
838. श्री भजन सिंह, ग्राम परसा — मैं अदानी का समर्थन करता हूँ ।
839. श्री अनिल, ग्राम पूटा — मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ ।
840. श्री दिगम्बर सिंह, ग्राम पूटा— टेलर चलने से धूल डस्ट उड़ती है। रोड पर पानी सींचा जाये। कोल माईन का समर्थन करता हूँ।
841. श्री दिलेश्वर सिंह उईके, ग्राम मेंड्रा— जन सुनवाई का समर्थन ।
842. श्री ठाकुर राम, ग्राम मेंड्रा— जन सुनवाई का समर्थन ।
843. श्री सूरज, ग्राम गुमगा— जन सुनवाई का समर्थन ।
844. श्री दिनेश सिंह, ग्राम गुमगा— जन सुनवाई का समर्थन ।
845. श्री अजय सिंह, ग्राम जनार्दनपुर— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
846. श्री विश्वनाथ सिंह टेकाम, ग्राम जनार्दनपुर— कोल माईन्स का समर्थन करता हूँ।
847. श्री रामदेव, ग्राम करकली — जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
848. श्री घासीराम, ग्राम जनार्दनपुर—जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
849. श्री सुभाष राय, ग्राम जनार्दनपुर—जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
850. श्री विजय कुमार, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
851. श्री दोहराम, ग्राम घाटबर्गा— अदानी का समर्थन करता हूँ।
852. श्री सेवक राम, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
853. श्री हरिलाल, ग्राम घाटबर्गा— खदान का समर्थन करता हूँ।
854. श्री मुन्नी लाल तिकी, ग्राम घाटबर्गा— अदानी का समर्थन करता हूँ क्योंकि यह कंपनी जब से आई है हमारे जीवन में सुधार हुआ है।
855. श्री कमल साय, उप सरपंच ग्राम पंचायत पेंडरखी— खदान का समर्थन करता हूँ।
856. श्री हरीराम, ग्राम घाटबर्गा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
857. श्री चंद्र सिंह पोर्ते, ग्राम फतेहपुर— अदानी का समर्थन करता हूँ
858. श्री जगनारायण सिंह पोर्ते, ग्राम साल्ही— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
859. श्री हरीश पाण्डे, ग्राम घाटबर्गा— चिकित्सा, शिक्षा को देखते हुए मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ, धन्यवाद ।
860. श्री विवेक, तारा कोल ब्लाक—रोजगार को देखते हुए लोक सुनवाई का तहे दिल से समर्थन करता हूँ।
861. श्री जनार्दन तिकी, ग्राम साल्ही— हमारे राजस्व भूमि का जो कब्जा है आज तक वन अधिकार पत्र नहीं बना है। वन अधिकार पत्र बनाकर दिया जाये, मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
862. श्री कृष्णा गौतम, ग्राम साल्ही— परसा केते बासेन कोल परियोजना में जितने कामगार कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, पानी, बिजली सुविधा को और बेहतर बनाया जाये। परसा केते बासेन कोल परियोजना में जितने कामगार कार्यरत उन्हें लाभ मिल सके। हमारा समर्थन है।
863. श्री मोरे सिंह पोर्ते, ग्राम साल्ही— इस लोक सुनवाई का तहे दिल से समर्थन करता हूँ ।
864. श्री चंदेल, ग्राम साल्ही— इस लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ ।

865. **श्री चंद्रभान सिंह, ग्राम तारा**— यहां जो बालक आया उसे प्रबंधन द्वारा गोद लिया जाये और उसका परवरिश की जाये। मूलभूत सुविधाएँ में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। यहां एक अच्छा अस्पताल बनाया जाये। लोक सुनवाई का हम समर्थन करते हैं।
866. **श्री भोलेनाथ सिंह यादव, ग्राम केते**— आज की लोक सुनवाई का हम समर्थन करते हैं।
867. **श्री हीराचंद, ग्रामपंचायत बासेन**— 400 वर्ष बीत चुका है आज तक पट्टा नहीं बना है। समर्थन करता हूँ।
868. **श्री करुणा नंदन पोर्ते, ग्राम साल्ही**— जिस भूमि का पट्टा बना है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ।
869. **श्रीमती रमेश्वरी बाई, ग्राम बासेन** — समर्थन है।
870. **श्री धनीराम पोर्ते, ग्राम साल्ही**— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
871. **श्री प्रधारांम, ग्राम साल्ही** — जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
872. **श्री मंगल साय, ग्राम तारा चारपारा**— समर्थन करता हूँ।
873. **श्री मोहन साय पोर्ते, ग्राम साल्ही**— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ। क्योंकि कंपनी के आने से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि सभी क्षेत्र में काम किया जा रहा है। धीमी गति को तेजी गति में लायें। धन्यवाद।
874. **श्री आशिक अली, ग्रामपंचायत तारा**— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
875. **श्री सुखसराय, ग्राम जनार्दनपुर**— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
876. **श्री अजय कुमार आर्मो, ग्राम तारा**— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
877. **श्री सिमोन मिंज, तारा चारपारा**— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
878. **श्री संजय कुमार, ग्राम साल्ही**— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
879. **श्री जगलाल चौहान, चारपारा**— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
880. **श्री मान साय चौहान, ग्राम तारा चारपारा**— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
881. **श्री भजन दास महंत, ग्राम साल्ही**— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
882. **श्री अवधेश कुमार यादव, ग्राम परसा**— अदानी कोल माईन का सहयोग करता हूँ।
883. **श्री रमेश मिंज, ग्राम झींगा झरिया**— अदानी कोल माईन का समर्थन करता हूँ।
884. **श्री अमरेश एक्का, ग्राम झींगा झरिया**— इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
885. **श्री सनी मिंज, ग्राम झींगा झरिया**— इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
886. **श्री देव प्रसाद तिर्की, ग्राम झींगा झरिया**— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
887. **श्री रंजीत कुमार, ग्राम झींगा झरिया**— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
888. **श्री सुनील कुमार, ग्राम परसा**— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
889. **श्री महेन्द्र, जरहाडांड**— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
890. **श्री जितेंद्र, ग्राम परसा**— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
891. **श्री सतीराम, ग्राम केते**— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
892. **श्री जीवन एक्का, ग्राम परसा**— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
893. **श्री अरविंद, ग्राम परसा**— अदानी का सपोर्ट करता हूँ।
894. **श्री साम सिंह पोर्ते, ग्राम परसा**— मैं अदानी का सपोर्ट करता हूँ।
895. **श्री प्रकाश सिंह ठाकरे, ग्राम परसा**— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ। कुछ लोग समर्थन किये कुछ लोगों ने इसे रिजक्ट किया। मैं इसी संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। भला किसी कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर बन न सके तो कांटे बनकर मत रहना।
896. **श्री प्रमोद कुमार, ग्राम परसा**— अदानी का समर्थन करता हूँ।
897. **श्री सुनील कुमार, ग्राम परसा**— अदानी का समर्थन करता हूँ।
898. **श्री राजा चंद्रा, ग्राम परसा**— अदानी को फुल सपोर्ट देता हूँ।

899. श्री देव सिंह, ग्राम परसा— अदानी को फुल सपोर्ट करता हूँ ।
900. श्री राजेश प्रसाद, ग्राम मुडेडांड— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
901. मो० सकीन, ग्राम तारा— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
902. श्री अलोक कुमार पटेल, ग्राम परसा— अदानी का समर्थन करता हूँ ।
903. श्री प्रसाद, ग्राम परसा—लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
904. श्री शीतल कुमार, ग्राम परसा— समर्थन है।
905. श्री मो. मुख्तार डांडगांव— समर्थन है।
906. श्री राज मिंज, ग्राम परसा — समर्थन करता हूँ।
907. श्री जय सिंह नेटी, ग्राम केते— खदान का समर्थन करता हूँ।
908. श्री शिवप्रताप सिंह आर्मो— खदान का समर्थन करता हूँ।
909. श्री शिवकुमार, ग्राम जनार्दनपुर— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
910. श्री अमित एक्का, ग्राम परसा— समर्थन है।
911. श्री देव नारायण, ग्राम परसा— अदानी का समर्थन करता हूँ ।
912. श्री निर्मल, ग्राम परसा— आज इस जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ ।
913. श्री थामस ग्राम परसा— जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ ।
914. श्री प्रमोद बखला, ग्राम परसा— कंपनी का समर्थन करता हूँ ।
915. श्री राम कुमार, ग्राम परसा— अदानी का समर्थन करता हूँ ।
916. श्री बकौल, ग्राम परसा— अदानी का समर्थन करता हूँ ।
917. श्री श्रीकांत यादव, ग्राम परसा— अदानी का समर्थन करता हूँ ।
918. श्री गणेश्वर, ग्राम बासेन— मुआवजा राशि दे या मकान दे तो समर्थन दे सकते है।
919. श्री ननका देवांगन, ग्राम तारा— अदानी का समर्थन करता हूँ ।
920. श्री सुनील, ग्राम बासेन — समर्थन है।
921. श्री नेता हूँ — एक पेड़ काटता हूँ पचीस पेड़ लगाता हूँ।
922. श्री शिव मंगल सिंह, ग्राम चारापारा— समर्थन करता हूँ ।
923. श्री मियादाद, ग्राम परसा — समर्थन करता हूँ ।
924. श्रीमती लिहारो बाई, ग्राम केत — समर्थन करती हूँ।
925. श्रीमती सुखरी बाई, ग्राम परसा—अदानी का समर्थन है।
926. श्री बालराम, ग्राम चारपारा — अदानी का समर्थन है।
927. श्री सैजूराम, ग्राम साल्ही— 108 विरोध पत्र ग्राम साल्ही की ओर से।
928. श्री मंगल सिंह करियाम, ग्राम साल्ही— खदान का विरोध करता हूँ।
929. श्री धन साय, ग्राम हरिहरपुर— जन सुनवाई का विरोध करता हूँ।
930. श्री जयपाल तिर्की, ग्राम बासेन— इस जन सुनवाई का तहे दिल से समर्थन करता हूँ।
931. श्री सोनसाय, ग्राम हरिहरपुर— जन सुनवाई का विरोध करता हूँ।
932. श्री धरम सिंह, ग्राम हरिहरपुर— मैं विरोध करता हूँ।
933. श्री गुडडू, ग्राम बासेन — समर्थन है।
934. श्री विजय कुमार सिंह, ग्राम जनार्दनपुर— इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
935. श्री इंजो साय, ग्राम हरिहरपुर— समर्थन है ।
936. श्री सिद्धार्थ, ग्राम बासेन— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
937. श्री श्याम, उदयपुर— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
938. श्री प्रताप तिर्की, अंबिकापुर—लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
939. श्री मंगल साय, ग्राम डांडगांव— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
940. श्री अंबिका सिंह, ग्राम बासेन— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
941. श्री विजेन्द्र सिंह, ग्राम शिवनगर — जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
942. श्री अशोक सिंह पोर्ते, ग्राम बासेन— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।

943. श्री दिनेश, ग्राम बासेन— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
944. श्री धनीराम ग्राम बासेन— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
945. श्री ललन राम, ग्राम खोंधला— ग्राम बासेन— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
946. श्री मनोज कुमार, ग्राम बासेन— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
947. श्री संजय ग्राम बासेन— परसा केते खदान का समर्थन करता हूँ।
948. श्री मनबहाल सिंह पैकरा, कदमपारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
949. श्री बृज राम, ग्राम खोंधला—जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
950. श्री सुमेर राम, ग्राम बासेन— खदान का समर्थन करता हूँ।
951. श्री पंचराम, ग्राम परसा— अदानी को समर्थन करता हूँ।
952. श्री गणेश तिर्की, ग्राम बकोई— समर्थन करता हूँ।
953. श्री अनिल मिंज, ग्राम बकोई— अदानी का समर्थन करता हूँ।
954. श्री रमेश्वरपुर, ग्राम परसा— जमीन गया है उस खातेदार को रोजगार मिलना चाहिए मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
955. श्री लखन राजवाडे, ग्राम गुमगा— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
956. श्री राम सुंदर, ग्राम बासेन— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
957. श्री गणेश, ग्राम बासेन— समर्थन करता हूँ।
958. श्री नयन सिंह, ग्राम खोंधला— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
959. श्री पवन साय, ग्राम बासेन— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
960. श्री रघुबीर यादव, ग्राम बासेन— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
961. श्री हीरमन एक्का, ग्राम बासेन— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
962. श्री राधे श्याम यादव, ग्राम बासेन— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ। लेकिन शिक्षक बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं।
963. श्री भगत राम, ग्राम बासेन— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
964. श्री ओमप्रकाश यादव, ग्राम बासेन— इस जन सुनवाई का तहे दिल से समर्थन करता हूँ।
965. श्री अशोक पण्डो, ग्राम बासेन— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
966. श्री मनीराम मझवार, ग्राम केते— जन सुनवाई का तहे दिल से समर्थन करता हूँ। सबको नौकरी और पैसा दिया जाये।
967. श्री रवि कुमार पण्डो, ग्राम बासेन— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
968. श्रीमती इंद्रावती, ग्राम साल्ही बैगापारा— जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
969. श्री बुधु यादव, ग्राम गुमगा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
970. श्री दिनेश कुमार साहू, ग्राम सलका— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
971. श्री नंदलाल, ग्राम सलका— समर्थन करता हूँ।
972. श्री अशोक कुमार सिंह, ग्राम सलका — समर्थन करता हूँ।
973. श्री रामचंद्र साहू, ग्राम सलका— समर्थन करता हूँ।
974. श्री दुर्गा प्रसाद राजवाडे, उदयपुर— अदानी लोक सुनवाई का सपोर्ट करता हूँ।
975. श्री बैंगूराम, ग्राम बासेन— हमारे बाल बच्चों को नौकरी चाहिए मैं समर्थन दे रहा हूँ।
976. श्री नगीना यादव, ग्राम बासेन— लोक सुनवाई का तहे दिल से समर्थन करता हूँ।
977. श्री ओमप्रकाश एक्का, ग्राम बासेन— समर्थन करता हूँ।
978. श्री जयलाल, ग्राम चकेरी— समर्थन करता हूँ।
979. श्री मुनेश्वर, ग्राम बासेन— अदानी का समर्थन करता हूँ।
980. श्री जिगेश तिर्की, ग्राम बासेन— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
981. श्री कनीराम, ग्राम बासेन— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
982. श्री सुखराम, ग्राम डांडगांव— समर्थन है।

983. श्री सुरेन्द्र कुमार तिर्की, ग्राम बासेन— अदानी के तरफ से गांव गांव मे विकास हुआ है। इसके लिए मैं समर्थन करता हूँ।
984. श्री दसई राम पण्डो, ग्राम बासेन— समर्थन करता हूँ ।
985. श्री सुखूराम, ग्राम चारपारा — समर्थन है ।
986. श्री बाबूलाल, ग्राम पेंडरखी— अदानी को समर्थन करता हूँ।
987. श्री सतनंदन, चकेरी— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
988. श्री जीतूराम, ग्राम चकेरी— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
989. श्री बाल्लू राम, ग्राम केते— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
990. श्रीमती जयमुनि, ग्राम बासेन— समर्थन करती हूँ।
991. श्री राजीव कुमार, सूरजपुर जिले — समर्थन करता हूँ।
992. श्री राजकुमार नेटी, ग्राम केते— कंपनी को समर्थन करता हूँ।
993. श्री मोती लाल, ग्राम डांडगांव — समर्थन करता हूँ ।
994. श्री श्याम, ग्राम बासेन— कोल माईन को समर्थन है।
995. श्री अमर सिंह मरावी, रामानुजगर— आज की लोक सुनवाई का समर्थन है ।
996. श्री प्रीतम सिंह, ग्राम शिवनगर— आज की जन सुनवाई का समर्थन है ।
997. श्री रमेश्वर, ग्राम साल्ही— आज की जन सुनवाई का विरोध करता हूँ।
998. श्री रामदेव पोर्ते, ग्राम साल्ही— आज की जनसुनवाई का विरोध करते हैं।
999. श्री अजय देवांगन, ग्राम बासेन— अदानी का मैं समर्थन करता हूँ।
1000. श्री सेतराम, बैगापारा—जन सुनवाई का विरोध करते हैं।
1001. श्री मोहन सिंह, ग्राम साल्ही —विरोध करता हूँ।
1002. श्री मोती लाल, ग्राम हरिहरपुर— मैं विरोध करता हूँ ।
1003. श्री अमर साय, कोराम, ग्राम हरिहरपुर—विरोध करता हूँ।
1004. श्री धरम सिंह, ग्राम बासेन—विरोध करता हूँ।
1005. श्री तुलेश्वर, ग्राम खोंधला— अदानी को समर्थन देता हूँ।
1006. श्री प्रजापति, ग्राम खोंधला— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
1007. श्री राकेश दास, ग्राम सलका— अदानी का समर्थन करता हूँ।
1008. श्री शिव प्रसाद, ग्राम बासेन — मैं बेरोजगार हूँ मेरे को रोजगार दीजिए तब मैं अदानी का समर्थन करता हूँ।
1009. श्री एक्का, ग्राम बासेन— समर्थन है।
1010. श्री राम, ग्राम तारा चारपारा— अदानी का समर्थन करता हूँ।
1011. श्री राम साय पण्डो, ग्राम बासेन— अदानी का समर्थन करता हूँ।
1012. श्री जलांधर राम, ग्राम खोंधला— अदानी का समर्थन करता हूँ।
1013. श्री राम बहादुर सिंह, ग्राम बासेन — समर्थन है।
1014. श्री कमल साय, ग्राम बासेन— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ ।
1015. श्री शिवलाल, ग्राम बासेन— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ ।
1016. श्री अमर देव यादव, ग्राम परसा— लोक सुनवाई का समर्थन करना चाहता हूँ ।
1017. श्री राजन, ग्राम डांडगांव— मैं कोल माईन का समर्थन करता हूँ ।
1018. श्री रामसिंह, ग्राम डांडगांव— मैं जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ ।
1019. ग्रामपंचायत बासेन का पंच — मैं आवेदन जमा नहीं कर पाया था। आवेदन पत्र जमा करने आया हूँ
1020. श्री परमेश्वर, ग्राम बासेन— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ ।
1021. श्री रामनाथ, ग्राम परोगिया — अदानी को समर्थन करता हूँ ।
1022. श्री रामेश्वर पोर्ते, ग्राम साल्ही— मेरा पौने तीन एकड़ जमीन गया है ग्राम पंचायत पास करके पचास लाख का मांग किये उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है।

तहसील, जिला एवं हाईकोर्ट में दिये हैं आज तक सुनवाई नहीं हुआ है इस लिए मैं विरोध करना चाहता हूँ।

1023. **श्री दीपक कुमार, ग्राम बासन**— मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
1024. **श्री अशोक कुमार, ग्राम बासेन**— अदानी को मैं समर्थन देता हूँ।
1025. **श्री राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम खोंधला**— हमारे गांव में बिजली बहुत कम है बिजली दी जाये तो मैं समर्थन करता हूँ।
1026. **श्री राम सिंह, ग्राम खोंधला** — मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
1027. **श्री संजय सिंह, ग्राम घाटबर्वा**— मैं आज की जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
1028. **श्री उदय लाल, ग्राम घाटबर्वा**— मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ लेकिन शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें। नहीं तो बहुत तकलीफ होती है।
1029. **श्री रामजी, ग्राम घाटबर्वा**— अदानी का मैं समर्थन करता हूँ।
1030. **श्री सूरज सिंह, ग्राम घाटबर्वा**— अदानी का समर्थन करता हूँ।
1031. **श्री मंगल साय, ग्राम घाटबर्वा**— यहां पेशा कानून लागू है। जहां जन सुनवाई हो रही है वहां ग्रामसभा का प्रस्ताव नहीं लिया गया है न वन समिति से प्रस्ताव लिया गया है। जिनकी जमीन नहीं जा रही है वे लोग समर्थन किये हैं और जिनकी जमीन जा रही है वे लोग समर्थन नहीं किये हैं। 20 साल का प्रोजेक्ट है तो 05 साल में करके पर्यावरण का नाश कर रहे हैं इस पर ध्यान दिया जाये।
1032. **श्री बीर साय, ग्राम घाटबर्वा**— ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं लिया गया है। जिनकी जमीन नहीं जा रही है वही लोग समर्थन किये हैं।
1033. **श्री बाल साय, ग्राम घाटबर्वा** — पानी की सुविधा दी जाये मैं समर्थन करता हूँ।
1034. **श्री सूरज कुमार तिर्की, ग्राम बासेन**— अदानी का समर्थन है।
1035. **श्री लखन राजवाड़े, ग्राम गुमगा** — मैं सरगुजा रेल कारीडोर सूरजपुर में कार्यरत हूँ। हमारी रेल्वे लाईन आ जायेगी तो दुर्घटनाएँ कम हो जायेंगी। यहां से हो सकता है दिल्ली के लिये भी लाईन मिल जाये। हमारे गांव को बहुत सुविधा मिलेगी। मैं इतना ही बोलूंगा। धन्यवाद।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद जन समुदाय मे से अन्य कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, तब लगभग सायं 8:00 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया। परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री प्रकाश इसरानी, डिप्टी चीफ इंजिनियर फ्यूल मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा परियोजना के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग सायं 8:20 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोकसुनवाई समापन की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में कुल 726 सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुईं। लोक सुनवाई के दौरान 1035 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गईं। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 1700 व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें

से उपस्थिति पत्रक पर कुल 215 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई।

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
अंबिकापुर, जिला—सरगुजा (छ.ग.)